दिसंबर 1995
मूल्य : पांच रुपये

कुरुक्षेत्र

शिक्षित ग्रामीण बेरोज़गारों को रोज़गार

वह वृक्ष जिसमें आम की 201 किस्में तैयार की गई हैं।

आमों का उत्पादक कलीम उल्लाह खां अधिकारियों को उस पेड़ के बारे में बताते हुए जिस पर अनेक किस्में तैयार की गई हैं।

(लेख पृष्ठ 28 पर)

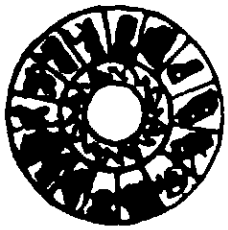

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका 'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए। लघु कथाओं का भी स्वागत है। अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है। 'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने व अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

वर्ष 41 अंक 2 अग्रहायण-पौष 1917, दिसम्बर 1995

कार्यकारी संपादक	:	**बलदेव सिंह मदान**
उप संपादक	:	**ललिता जोशी**
उप निदेशक (उत्पादन)	:	**के. आर. कृष्णन**
विज्ञापन प्रबंधक	:	**बैजनाथ राजभर**
सहायक व्यापार व्यवस्थापक	:	**एस० एल० कोठारी**
आवरण सज्जा	:	**अलका**

एक प्रति : पांच रुपये   वार्षिक चंदा : 50 रुपये

फोटो साभार : रमेश चंद्र, फोटो प्रभाग, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय

इस अंक में

शिक्षित ग्रामीण बेरोजगारों के लिए नयी स्वरोजगार योजना	नवीन पंत	3
ग्रामीण और शहरी गरीबों की समस्याएं और रोजगार	राजेन्द्र उपाध्याय	6
ग्राम्य महिलाएं और ग्रामीण विकास	डा. एन. पी. पाठक एवं कुमुद श्रीवास्तव	8
भारतीय नारी : यथार्थ और अपेक्षाएं	डा. कृष्णकुमार मिश्र	12
महिलाओं के भरण-पोषण के लिए कानूनी प्रावधान	राजेन्द्र प्रसाद जैन	14
स्त्रियों में नशा : बढ़ती प्रवृत्ति	अमिताभ रंजन शुक्ल	16
गोपा (कहानी)	डा. शीतांशु भारद्वाज	18
देश में संपूर्ण साक्षरता प्राप्ति हेतु 'दिल्ली घोषणा' की चुनौतियां	डा. उमेश चन्द्र	23
आम के एक ही पेड़ में 275 किस्म के आम	जगदीश प्रसाद साहनी	28
ग्रामीण विकास के लिये अक्षय ऊर्जा स्रोत	मयंक अग्रवाल	29
ग्रामीण विकास का एक विकल्प	प्रीति खन्ना	32
बेरोजगारी राष्ट्र का सबसे बड़ा दैत्य	डा. धीरेन्द्र कुमार सिंह	34
ग्रामीण विकास में बाधक : बढ़ती जनसंख्या	राम जन्म गुप्ता	36
पहाड़ों का निर्धन राजा	डा. योगिन्द्र प्रताप सिंह	38
समय की आवश्यकता–कृषि वानिकी	नरेश कौशिक, रोशन लाल एवं राजेन्द्र सिंह	41
कुपोषण दूर करने वाला सोयाबीन	डा. सीताराम सिंह 'पंकज'	43

हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी प्रकाशित इस पत्रिका में शामिल लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, कमरा नं. 655, निर्माण भवन, ए-विंग, नई दिल्ली-110011 के पते पर करें। दूरभाष : 3017422

पाठकों के पत्र

'कुरुक्षेत्र' पत्रिका का अगस्त 1995 अंक पढ़ने को मिला। इस अंक के कुछ लेखों के बारे में कुछ कहे बिना रह नहीं पाता हूं।

इस अंक में देवेन्द्र उपाध्याय जी का लेख 'गांवों की तस्वीर बदलने के प्रयास' रोचक लगा। श्री एम. एल. रायपुरिया जी का लेख—'सुनिश्चित रोजगार योजना-एक वरदान' मेरे जैसे सामान्य लोगों की भ्रान्तियों एवं समस्याओं को दूर करने में निश्चय ही उपयोगी है। श्री अरविन्द कुमार सिंह जी का लेख 'ग्रामीण आवास और स्वयंसेवी संगठन' तथा अन्य कविताएं व कहानी पत्रिका की रोचकता में वृद्धि करती हैं। मैंने इस पत्रिका का यह अंक पहली बार पढ़ा है। काश मैं पहले से इस पत्रिका का पाठक होता!

पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का चयन बहुत ही सूझ-बूझ के साथ किया जाता है।

डा० रविन्द्र राणा,
लोनी-201102
गाजियाबाद (उ० प्र०)

मैंने आपका सितम्बर अंक पढ़ा। इसमें महिलाओं के विकास के सन्दर्भ में सरकार द्वारा घोषित योजनाओं पर जो विस्तृत विवरण आपने प्रस्तुत किया है, वह सराहनीय और ज्ञानवर्धक है।

विशेषकर श्री अखिलेश रंजन द्वारा "ग्रामीण महिलाओं के विकास का सच्चा सहयोगी" (डवाकरा) पर जो विचार व्यक्त किये गये हैं, सराहनीय हैं। प्रस्तुत लेख में उन्होंने इसके कार्यान्वयन में व्यावहारिक पक्ष की अंशतः उपेक्षा की है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रथमतः तो सरकार को इस योजना के उद्देश्य के बारे में जन-जन को समझाना पड़ेगा। द्वितीयतः ऐच्छिक संस्थाओं की सहायता लेना प्रभावपूर्ण हो सकता है।

चन्द्रशेखर दास,
16, स्वर्ग आश्रम, (रेडियो कालोनी),
दिल्ली-110009

मैंने 'कुरुक्षेत्र' के अगस्त 1995 के अंक का अध्ययन किया। गांवों की तस्वीर बदलने के नये प्रयास में इस अंक की सार्थकता निर्विवाद है। इस अंक में आपने मानव की एक आवश्यकता 'आवास' जिसकी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कमी है, को मुख्य विषय बनाया है। इस दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे सार्थक प्रयासों पर आंकड़ों सहित प्रकाश डाला है।

इस अंक में डा० कैलाश चन्द्र पपनै के लेख 'ग्रामीण आवास की दिशा में सरकार के प्रयास' तथा जितेन्द्र गुप्त के लेख 'ग्रामीण आवास, स्वैच्छिक संगठन और स्वावलंबन' के साथ-साथ डा० हरेकृष्ण सिंह के लेख 'आवास समस्या एवं समाधान' मुझे बहुत ही उपयोगी एवं ज्ञानवर्द्धक लगे। यदि इन लेखों में दिए गए विचारों पर अमल किया गया तो निश्चित रूप से भारत में आवास समस्या का समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी।

अरुण कुमार पाठक,
ग्राम-पाठक बिगहा, पो०-पडरावां,
जि०-ओरंगाबाद (बिहार)
पिन-824121

मैने आपके अगस्त 1995 के अंक में 'मशरूम कृषि' पर लेख पढ़ा। मशरूम कृषि ऐसी कृषि है जो भारत में अभी विकसित नहीं है, और भारत में इसके विकास की अपार संभावनाएं हैं। भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण अगर मशरूम कृषि का विकास करे तो कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। बेरोजगारी कम हो सकती है, आय में वृद्धि हो सकती है, विदेशों में इसका निर्यात कर विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है।

मशरूम को हम लोग देखते तो हैं, परन्तु उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। यह कैन्सर एवं मधुमेह के रोगियों के लिए भी लाभदायक है। अगर इसे देहाती भाषा में कहा जाए तो यह 'गुदड़ी में लाल' की तरह है।

राम आशीष सिंह,
बेतरी, भभुआ,
बिहार-821101

शिक्षित ग्रामीण बेरोजगारों के लिए नयी स्वरोजगार योजना

✍ नवीन पंत

सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सुधार करके उसे नया रूप प्रदान किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक नया वर्ग बनाया है। गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले आठवीं तक शिक्षा प्राप्त ग्रामीण युवा इस वर्ग के अन्तर्गत आएंगे। उन्हें अपना रोजगार या काम धंधा शुरू करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी के रूप में अधिकतम 7,500 रुपये दिये जाएंगे।

इसी तरह अगर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले पांच या अधिक युवक मिलकर कोई उद्यम या कारोबार शुरू करेंगे तो उन्हें भी 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी की यह राशि 1.25 लाख रुपये तक होगी। सब्सिडी राष्ट्रीय बैंकों के जरिये दी जाएगी। सब्सिडी की राशि लाभ पाने वाले व्यक्ति के सावधि खाते में जमा कर दी जाएगी और ऋण की किस्तों का नियमित भुगतान होने और परिसम्पत्ति का उचित रख-रखाव करने पर उसे दे दी जाएगी।

सरकार के इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगारों को अपना काम धंधा शुरू करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह को 1.25 लाख रुपये तक की सहायता देने का निर्णय विशेष रूप से स्वागत योग्य है। इससे सहकारी अथवा भागीदारी व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार ने ग्रामीण आवास कार्यक्रम को इन्दिरा आवास कार्यक्रम में शामिल कर दिया है। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में ये दोनों योजनाएं चल रही थीं। इससे भ्रम उत्पन्न होने के साथ अनावश्यक काम और अतिरिक्त खर्च हो रहा था।

नवीकृत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर होने वाला खर्च पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत और शेष देश के लिए 20 प्रतिशत कर दिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में सहायता मिलेगी और विकास की गति तेज होगी।

अब लक्ष्य का निर्धारण लाभार्थियों की संख्या के आधार पर पर नहीं, ऋण जुटाने और प्रति व्यक्ति निवेश के आधार पर होगा। प्रति लाभार्थी के लिए निवेश की राशि 1200 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में शुरू किया गया था। तब से अब तक इससे 4 करोड़ 60 लाख लोगों को लाभ मिल चुका है। आठवीं योजना में इस मद में 3,350 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

स्वरोजगार योजना

स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों या युवक समूहों को सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय निश्चय ही स्वागत योग्य है। इससे थोड़े समय में गांवों की कायापलट हो सकती है। ग्रामीण युवक अनेक किस्म के उत्पादक कार्य या स्थानीय उद्योग शुरू कर सकते हैं। इन उद्योगों में स्थानीय कच्चा माल, जन शक्ति और कुशलता का उपयोग किया जा सकता है। इससे ग्रामीण युवकों को नौकरी या रोजगार की तलाश में शहरों की ओर भागने के स्थान पर गांवों में ही रह कर कुछ लाभदायक काम शुरू करने का अवसर मिलेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण युवक थोड़ी पूंजी, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से अनेक वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं जैसे कि कपड़ों की सिलाई, कढ़ाई, छपाई, खिलौने बनाने का काम, रेडियो, ट्रांजिस्टर जोड़ने जैसे अन्य अनेक काम। इन औद्योगिक गतिविधियों से गांवों में उन उत्पादक शक्तियों का विकास होगा जो थोड़े समय में हमारे देश का नक्शा बदल सकती हैं।

चीन ने अपने यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उद्योगों की स्थापना करके अपनी अर्थव्यवस्था को अत्यंत मजबूत बना लिया है। वह ग्रांमीण क्षेत्रों में निर्मित सामान से काफी विदेशी मुद्रा कमाता है। चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित अनेक किस्म का माल अमरीका में खूब बिक रहा है।

ग्रामीण जन शक्ति का उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए सरकार पहले ही 'ट्राइसेम' अथवा स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने और ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत किस्म के औजार-उपकरण देने की योजनाएं लागू कर चुकी है। अब अगर सरकार इन सभी योजनाओं में ताल-मेल रखने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार माल की गुणवत्ता में सुधार लाने और उसकी बिक्री की व्यवस्था करवा सके तो इन कार्यक्रमों के लाभ बहुत जल्दी मिलने लगेंगे।

विकास के लाभ

स्वतंत्रता के बाद से ही सरकार देश में व्याप्त गरीबी को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। प्रारम्भ में अनुमान था कि देश के तेजी से औद्योगीकरण के कारण देश की अर्थव्यवस्था में जो सुधार होगा उसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी और गरीबी की समस्या स्वतः दूर हो जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद सरकार को पता चला कि आर्थिक विकास के लाभ समाज के कुछ वर्गों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिनमें सबसे कमजोर, उपेक्षित और शोषित वर्ग के लोग अधिक हैं।

हमारे देश की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। खेती के लिए सभी के पास जमीन नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग तीन करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो कोई रोजगार नहीं है या जिनको उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार वर्ष भर रोजगार नहीं मिलता। इनमें से कुछ को फसल के दौरान रोजगार मिल जाता है लेकिन शेष समय में इन्हें कोई काम नहीं मिलता।

कमजोर वर्गों के लाभ की योजनाएं

सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर पहली बार तीसरी योजना के प्रारंभ में गया। तीसरी से सातवीं योजना के दौरान समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू की गईं। इनमें देश के कुछ भागों में कुछ लोगों को वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने की सुनिश्चित रोजगार योजना, श्रम आधारित निर्माण कार्यों तथा स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जवाहर रोजगार योजना और 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम प्रमुख हैं।

आठवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा के बाद बेरोजगारी समाप्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया। यह लक्ष्य रखा गया कि अगले दस वर्षों में बेरोजगारी का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 23 अक्तूबर 1993 से सुनिश्चित रोजगार योजना शुरू की गई। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है।

इससे पहले पहली अप्रैल 1989 से ग्रामीण रोजगार का कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। इसका 80 प्रतिशत खर्च केन्द्र सरकार और 20 प्रतिशत राज्य सरकारें उठाती हैं। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पिछले छह वर्षों के दौरान 18,566.45 करोड़ रुपये व्यय किए गए और 5307.7 करोड़ मानव दिवस रोजगार जुटाया गया। जवाहर रोजगार योजना की दो महत्वपूर्ण उप योजनाएं हैं, इन्दिरा आवास योजना और दस लाख कुओं के निर्माण की योजना।

इन्दिरा आवास योजना

इन्दिरा आवास योजना 1985 में शुरू की गई थी। आवास मनुष्य की मूल आवश्यकता है और उसकी जीवन रक्षा के लिए जरूरी है। पिछले चार वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 1440.3 करोड़ रुपये के खर्च से 11 लाख 32 हजार मकान बनाए जा चुके हैं। सरकार ने 1995-96 के दौरान 10 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा है और इस कार्यक्रम के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि मकान लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम या महिला और पुरुष दोनों के नाम आबंटित किया जाता है। मकान के साथ-साथ धुएं रहित चूल्हे और स्वच्छ शौचालय की भी व्यवस्था की जाती है।

दस लाख कुओं के निर्माण की योजना

यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1988-89 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले छोटे और सीमान्त किसानों को निःशुल्क कुएं प्रदान करना है। कुएं प्रदान करते समय

अनुसूचित जातियों, जनजातियों के सदस्यों को तरजीह दी जाती है।

उन स्थानों में जहां प्राकृतिक कारणों से कुंओं का निर्माण संभव नहीं है छोटी सिंचाई के अन्य साधनों जैसे कि सिंचाई सरोवरों, नहरों आदि का निर्माण किया जा सकता है। योजना के प्रारम्भ से अब तक 3056.53 करोड़ रुपये की लागत से 9,26,923 कुओं का निर्माण किया जा चुका है।

इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीबों की दशा में सुधार लाना है। उनका जीवन स्तर उठाना है। सरकार के इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप गरीबी की समस्या पर सीधे प्रहार किया गया है, उत्पादक शक्तियों का विस्तार किया गया है और देश के ग्रामीण गरीबों को अर्थ व्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में लगाया गया है।

इससे देश में गरीबी की उग्रता कम हुई है। गरीबी आज भी है और अभी कुछ समय तक आगे भी रहेगी। लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व के ग्रामीण गरीबों की तुलना में उनकी दशा काफी अच्छी है। अब लोग अकाल से नहीं मरते, महामारियों का प्रकोप उतना भीषण नहीं होता, बेगार, बंधुआ मजदूरी जैसे शोषण करने वाली प्रथाएं कानून बनाकर समाप्त कर दी गई हैं। अधिकांश गांवों में स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र और पीने के पानी की सुविधा है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज भी देश की 19 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रही है। सरकारी कसौटी के अनुसार चार सदस्यों के उन सभी परिवारों को जिनकी वार्षिक आय दो हजार रुपये वार्षिक या उससे कम है, गरीबी की रेखा से नीचे माना जाता है। गैर सरकारी विशेषज्ञों के अनुसार देश की लगभग 30 करोड़ जनता आज भी दरिद्रता (गरीबी की रेखा से नीचे) का जीवन बिता रही है। इन सभी का जीवन स्तर उठाने के लिए हमें भगीरथ प्रयत्न करने होंगे।

सरकार इस समस्या की गंभीरता को समझती है। वह गरीबी उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। सातवीं योजना में सरकार ने गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 10,650 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। आठवीं योजना में इसे बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। गरीबी उन्मूलन करना अकेले सरकार के बस की बात नहीं है। इस कार्य में जनता के सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है। गरीबी एक अभिशाप है। वह मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का पूरी तरह विकास नहीं करने देती। वह देश को आगे बढ़ने से रोकती है। काहिली, कुपोषण, अशिक्षा और बीमारियों को जन्म देती है। सरकार ने गरीबी उन्मूलन के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। इस जंग में देश को विजयी बनाने के लिए सभी को योगदान करना चाहिए।

22, मैत्री एपार्टमेंट्स,
ए/3 पश्चिम विहार,
नई दिल्ली

स्वयंसेवी संगठनों पर अंक

कुरुक्षेत्र के अगले अंक का विषय है : ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका। यह जनवरी-फरवरी 1996 का संयुक्तांक होगा। इस अंक में जाने-माने लेखक और इस क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ ग्रामीण विकास में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रकट करेंगे।

इस अंक का मूल्य सात रुपये होगा।

आप अपनी प्रति अभी से सुरक्षित करा लीजिए या व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस - 110001 से सम्पर्क कीजिए।

टेलीफोन नम्बर : 3387983, 3387321
टेलीग्राम : सूच प्रकाशन

ग्रामीण और शहरी गरीबों की समस्याएं और रोजगार*

ग्रामीण और शहरी गरीबों की समस्याओं के बारे में हाल में नई दिल्ली में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गयी। इसमें ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री डाक्टर जगन्नाथ मिश्र सहित सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों से जुड़े विद्वानों और विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किये। डाक्टर मिश्र ने अपने भाषण में देश में गरीबी की समस्या की जटिलता का जिक्र करते हुए इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तार से चर्चा की। यह विचार गोष्ठी गरीबी की समस्या के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने में काफी सफल रही।

हमारे देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। इन्हीं क्षेत्रों में यह समस्या सबसे जटिल है। लेकिन बड़ी तादाद में लोगों के गांवों से शहरों की ओर पलायन से शहरी इलाकों में भी गरीबी की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। काम-धंधे और रोजगार की तलाश में गांवों के लोग शहरों में तो आ जाते हैं, मगर यहां उन्हें और भी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें सिर छिपाने को जगह नहीं मिलती। लिहाजा वे झुग्गी-झोपड़ियों में बड़ी ही दयनीय स्थिति में रहने को मजबूर होते हैं। इनमें पानी, बिजली, सफाई, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है। शहरों में झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों की समस्या दिन प्रतिदिन पेचीदा होती जा रही है। गांवों से रोजगार की तलाश में शहरों में आनेवाले लोगों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ रही है कि शहरों की विकास योजनाएं ठप्प सी हो गयी लगती हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री ने इसी बात की ओर इशारा करते हुए अपने भाषण में जो विचार व्यक्त किए वे काफी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा :

"शहरी गरीबों और ग्रामीण गरीबों की समस्याएं बुनियादी तौर पर एक जैसी ही हैं, लेकिन उनमें थोड़ा अंतर जरूर है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि हर जगह से गरीबी खत्म की जाए और ऐसी योजनाएं चलाई जाएं जिनसे गरीबों की स्थिति में सुधार हो।"

गांवों के लोगों की रोजी-रोटी का मुख्य जरिया खेती और ग्रामीण उद्योग-धंधे हैं। लेकिन इनमें रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते। जरूरत से ज्यादा लोगों के कृषि पर निर्भर रहने से खेती-बाड़ी लाभप्रद व्यवसाय नहीं रह गयी है। नतीजा यह हुआ है कि खेती करनेवालों की आमदनी कम है और अधिकांश लोग गरीबी में दिन गुजार रहे हैं। जिन राज्यों ने कृषि के क्षेत्र में प्रगति की है वहां नयी तकनीकी के उपयोग से खेती में रोजगार के अवसर कम हुए हैं। इससे गावों में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। लोगों का गांवों से शहरों को पलायन का जिक्र करते हुए डा. मिश्र ने कहा कि यह एक स्वाभाविक और ऐतिहासिक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इस पर नियंत्रण जरूरी है। इसके लिए उन्होंने गांवों और कस्बों में छोटे व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया।

डा. मिश्र ने कहा कि ग्रामीण विकास की बुनियादी समस्या गरीबी उन्मूलन की है। सरकारी अनुमान के अनुसार 30 प्रतिशत और गैर-सरकारी आंकड़ों के अनुसार 38 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। गांवों में गरीबी का मुख्य कारण खेतिहर मजदूरों के पास अपनी जमीन न होना, भूमि उत्पादकता का निम्न स्तर और हुनर या कौशल का अभाव है। इसके अलावा सामाजिक असमानता, बेरोजगारी और अपर्याप्त रोजगार भी गरीबी का मुख्य कारण है।

डा. मिश्र ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय देश में गरीबी उन्मूलन के अनेक कार्यक्रम चला रहा है। इस तरह के कार्यक्रम यों तो काफी समय पहले से ही चलाये जा रहे हैं लेकिन गरीबी दूर करने में इनसे उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली है। इसका कारण यह है कि गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास की योजनाएं बनाने में गांवों के लोगों की भागीदारी नहीं के बराबर है।

*डा. जगन्नाथ मिश्र, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री के भाषण के अंश

इसका नतीजा यह हुआ है कि विकास प्रक्रिया में स्थानीय लोगों के ज्ञान, अनुभव, साधनों और क्षमता का सही-सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार सौंपकर लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में जो महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, उससे नयी आशाएं जागी हैं। देश में तीन स्तरों वाली पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के लिए कानून बनाया गया है। इससे पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय का कारगर माध्यम बनाया जा सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री ने बताया कि नयी आर्थिक नीतियों के बावजूद ग्रामीण विकास की सरकार की वचनबद्धता में कोई कमी नहीं आयी है। हाल के वर्षों में ग्रामीण विकास के खर्च में लगातार वृद्धि की गयी है। 1992-93 में ग्रामीण विकास के लिए 50 अरब रुपये आबंटित किये गये थे, 1993-94 में यह राशि बढ़कर 65 अरब रुपये हो गयी। चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण विकास के लिए 85 अरब रुपये निर्धारित किये गये हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर कुल 30 खरब रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। डा. मिश्र ने कहा कि

"हम ज्यादा जोर ऐसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर दे रहे हैं जिनके जरिए रोजगार के अवसर बढ़ें तथा स्वरोजगार, मजदूरी-रोजगार तथा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के जरिए गांवों के गरीबों की आमदनी बढ़े। हमारे कार्यक्रमों में पिछड़े इलाकों और समाज के सुविधा-विहीन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। कमजोर वर्गों-जैसे, अनुसूचित जातियों/जनजातियों और महिलाओं के हितों की रक्षा करने का हमने खास ध्यान रखा है।"

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री ने अपने भाषण में गांवों में गरीबी दूर करने और उनके विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला और बाल विकास कार्यक्रम (डवाकरा) और ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) जैसे अनेक कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने इन सभी कार्यक्रमों के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किये जा रहे सरकार के प्रयासों की भी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, वाटरशैड विकास कार्यक्रम आदि के माध्यम से गांवों के विकास की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की भी चर्चा की।

डा. मिश्र ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करके उनके विकास का कार्य काफी विशाल और जटिल काम है। इसे संपन्न करने में गैर-सरकारी संगठनों और कारपोरेट सैक्टर की भी मदद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में उनकी सहायता का स्वागत करेगी। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री ने आशा व्यक्त की कि सरकार को गैर-सरकारी संगठनों और कारपोरेट सैक्टर की मदद से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने में मदद मिलेगी।

प्रस्तुति : राजेन्द्र उपाध्याय

'कुरुक्षेत्र' का नया पता

'कुरुक्षेत्र' का सम्पादकीय कार्यालय अब कृषि भवन से स्थानान्तरित होकर निर्माण भवन आ गया है। पत्रिका का नया पता इस प्रकार है :

कमरा न : 655, 'ए' विंग,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली - 110011

कृपया सभी रचनाएं और पत्रादि नये पत पर भेजें। **–सम्पादक**

ग्राम्य महिलाएं और ग्रामीण विकास

डा० एन० पी० पाठक*
एवं
कुमुद श्रीवास्तव*

भारत गांवों का देश है। देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में बसती है। इसलिए स्वाभाविक है कि देश की कुल आबादी की लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हैं। अतः ग्रामीण विकास में इन महिलाओं की प्रभावपूर्ण भागीदारी आवश्यक और अनिवार्य मानी जानी चाहिये। किंतु देश की सामाजिक स्थितियों और परंपराओं के कारण ग्रामीण महिलाओं के इस महत्वपूर्ण योगदान को न तो महत्व दिया गया और न ही अवसर प्रदान किया गया। प्रोत्साहन की तो बात देश के पुरुष-प्रधान समाज को संभवतः स्वीकार्य ही नहीं थी। जबकि सच्चाई यह है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवंत भूमिका रहती है।

महिलाएं तथा सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया

मानव के सभ्य जीवन के विकास में सामाजिक प्रक्रिया की उल्लेखनीय भूमिका रही है और इस विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी बनी हुई है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बुनियादी आवश्यकताओं के लिए यदि किसी ने आवश्यक वस्तुओं की खोज की तो उसमें महिलाओं का स्थान सर्वप्रथम है भले ही इस पुरुष-प्रधान भारतीय समाज ने इस महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार नहीं किया। पुरुषों ने महिलाओं को अपना अनुगामी बनाए रखा तथा उन्हें अनेक प्रकार के रूढ़िगत सामाजिक और आर्थिक बंधनों में जकड़े रखने में अपना महत्व प्रतिपादित किया। इस कारण संपूर्ण देश तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं की सामाजिक परिस्थितियां अत्यंत शोचनीय रही हैं।

उन्नीसवीं शताब्दी के बाद भारतीय समाज में कुछ जागरूक वर्गों ने नारी उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करने तथा स्वयं महिलाओं के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तनों से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार हुआ। साथ ही महिलाओं के सामाजिक शोषण को रोकने तथा समानता का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य में शासन ने भी अनेक कानूनों का प्रावधान किया। परंतु इन सब प्रयासों के बाद भी नारी की सामाजिक प्रतिष्ठा स्थापित करने में कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हुई। इसके लिए जन-जागृति के साथ-साथ नारी हित के कानूनों को लागू करने के लिए प्रभावी कदमों की आवश्यकता है।

ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां

सन् 1991 की जनगणना के अनुसार जहां देश की समग्र साक्षरता का प्रतिशत 52.11 है, वहीं महिला साक्षरता का प्रतिशत 39.4 है। पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 63.9 है। खेदजनक बात तो यह है कि ग्रामीण और शहरी महिलाओं की साक्षरता के प्रतिशत में काफी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता 13.2 प्रतिशत है। कितनी बड़ी विडम्बना है कि भारत की ग्रामीण महिलाओं में निरक्षरता अभी भी 85 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। इस निरक्षरता को कम करने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं की जा रही है। इसका प्रमाण विद्यालयों के विभिन्न स्तरों में लड़के-लड़कियों के पंजीयन में अंतर से स्पष्ट होता है।

साक्षरता के क्षेत्र में इस प्रकार ग्रामीण और शहरी तथा पुरुष और स्त्री साक्षरता में विद्यमान अत्यधिक अंतर यह प्रमाणित करता है कि भारत के शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं को अभी भी समान अवसर नहीं मिल रहे हैं जबकि उन्हें विशेष अवसरों की आवश्यकता है। आज अनेक ग्रामीण परिवार लड़कियों की शिक्षा पर व्यय को अपने साधनों का दुरुपयोग मानते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि समाज के कुछ वर्गों में लड़कियों का जन्म अमांगलिक और

*उपाचार्य, व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म. प्र.)
**शोध छात्रा

अपशकुन मानने की रूढ़िगत परंपरा है। इस तरह नारी की उपेक्षा उसके जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। उपेक्षा के फलस्वरूप ही ग्रामीण महिलाओं को लाभकारी व्यवसायों में भूमिका निभा पाने में असमर्थ माना जाता है। उन्हें कृषि कार्यों में कार्यरत रहता पड़ता है।

आज भी ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि एक प्रमुख आर्थिक कार्य है। लेकिन वहां भी पुरुषों एवं महिलाओं की मजदूरी दरों में अंतर रखकर महिलाओं का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। यद्यपि विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से इसे दूर करने के लिए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया है, किंतु राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अभी प्रायः सभी क्षेत्रों एवं विशेषकर कृषि के क्षेत्र में, पुरुषों एवं महिलाओं के बीच मजदूरी का अंतर जारी है। सरकार का दावा है कि नई अर्थनीति से विकास दर बढ़ेगी एवं रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। हमारे देश की गरीबी आर्थिक न होकर सामाजिक और लिंग आधारित पृष्ठभूमि पर है। गरीबी रेखा के नीचे वे लोग हैं जो कृषि श्रमिक हैं अथवा सीमांत कृषक या कुटीर उद्योग श्रमिक या फिर घरेलू श्रमिक हैं। इनमें अधिकांश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं। इनमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है।

ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक सहभागिता

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों से इस तथ्य का आभास मिलता है कि ग्रामीण श्रमिकों का काफी बड़ा भाग स्व-रोजगार में लगा है अथवा वे गैर भुगतान वाले पारिवारिक श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं और अल्प रोजगार प्राप्त हैं। कृषि क्षेत्र में महिलाओं का एक बहुत बड़ा भाग गैर भुगतान प्राप्त परिवारिक श्रमिक के रूप में कार्यरत है तथा इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा महिला एवं बाल श्रमशक्ति का अधिक अनुपात लगा हुआ है। यद्यपि प्रत्येक 10 वर्षों में होने वाली जनगणना इस तथ्य को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए समुचित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराती, किंतु मोटे तौर पर व्यापक विश्लेषण के लिए उनमें दी गई ग्रामीण कार्यों में सहभागिता की दरों की सहायता ली जा सकती है। निम्नांकित सारणी में ग्रामीण कार्यों में सहभागिता की दरों के लिंगानुसार विगत तीन जनगणनाओं के आंकड़े दिए गए हैं :-

भारत के ग्रामीण कार्य में भागीदारी की दर
(1971-1991)

जनगणना	जनसंख्या का कुल प्रतिशत	पुरुष	स्त्री
1971	35.33	53.78	15.92
1981	38.79	53.77	23.06
1991	40.24	52.50	27.20

उपर्युक्त सारणी को देखने से यह परिलक्षित होता है कि 1971-1981 की समयावधि में तो ग्रामीण पुरुष एवं महिलाओं दोनों की ही सहभागिता दरों में वृद्धि हुई है किंतु महिलाओं की सहभागिता की दरें अपेक्षाकृत अधिक तेजी से बढ़ी हैं। 1981-1991 की समयावधि में पुरुष सहभागिता में तो कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है किंतु ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी की दर 23.06 से बढ़कर 27.02 हो गयी है जो निश्चय ही इस बात का संकेत है कि ग्रामीण महिलाओं की परिस्थिति में सुधार हो रहा है।

महिलाओं की विविध क्षेत्रों में भूमिका

भारतीय ग्रामीण महिलाएं विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कार्यों में विविध प्रकार की भूमिका निभाती हैं और उन्हें कुशलतापूर्वक पूरा करती हैं। जिनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्रों में महिलाएं की भूमिका निम्नवत् है :

(1) **घरेलू भूमिका** : शिशुओं का लालन-पालन अकेले महिलाओं द्वारा ही किया जाता है क्योंकि यह कार्य पुरुष नहीं कर सकते। यही नहीं महिलाएं गृह कार्य के अंतर्गत परिवार के विभिन्न सदस्यों के स्वाद एवं अभिरुचि के अनुरूप भोजन पकाने के दायित्व का निर्वहन करती हैं। इसके अतिरिक्त पानी लाना, घर की सफाई करना और परिवार के आवास का रख-रखाव, जिसमें पशुओं का रखरखाव भी सम्मिलित है, अधिकतर महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। ग्रामीण महिलाएं परिवार के वृद्ध और विकलांग लोगों की विशेष देखभाल का कार्य भी करती हैं। कच्चे मकानों में रहने वाली महिलाएं वर्षा ऋतु की समाप्ति पर कम से कम एक बार अथवा किसी महत्वपूर्ण त्यौहार के समय अपने घर की पुताई का कार्य भी करती हैं।

(2) **कृषिगत प्रक्रियाओं में भूमिका :** ग्रामीण क्षेत्रों की महिला श्रमिकों का एक बहुत बड़ा भाग कृषि कार्यों में लगा है। महिलाओं को खाद डालने, बीज बोने, घास-फूस हटाने, निलाई-गुड़ाई, खाद्यान्नों की सफाई, भंडारण, पशुओं के चारे का प्रबंध, पशुओं की देखभाल, रसोई घर के लिए सब्जी उगाने और बेचने संबंधी दैनिक कार्यों को करना पड़ता है। चाय और कपास को संग्रहित करने में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।

(3) **ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों में भूमिका :** भारत में ग्रामीण और कुटीर उद्योगों का संचालन पारिवारिक इकाई के स्तर पर होता आया है। ऐसी स्थिति में इनके संचालन में ग्रामीण महिलाओं का व्यापक योगदान रहा है। खिलौने, दरी, गलीचे, टोकरी इत्यादि बनाने जैसे कार्यों में महिलाओं की सहभागिता सर्वाधिक होती है।

(4) **विशिष्ट भूमिका :** महिलाओं के संबंध में यह कहा जाता है कि परिवार में उनकी विशिष्ट भूमिका होती है जैसे वे पत्नी, बहन एवं माता का दायित्व निभाने के साथ ही अपनी अभिरुचियों के अनुरूप समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सामूहिक अभियान चलाती हैं। अपने इन सामूहिक आंदोलनों से कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश व आंध्र प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं को नशाबंदी अभियान व भ्रष्टाचार इत्यादि को समाप्त करने में कुछ हद तक सफलता भी मिली है।

ग्रामीण महिलाओं की इन सभी कार्यों में भूमिकाओं के बावजूद उनका आर्थिक योगदान काफी कम माना जाता है। लेकिन इस विषय पर सूक्ष्म स्तर पर काफी गहन अध्ययन की आवश्यकता है क्योंकि महिलाओं द्वारा घर में ही कई ऐसे कार्य किए जाते हैं जिन्हें किसी और से करवाने पर उसे पैसे देने पड़ते हैं जबकि महिला द्वारा घर के लिए किए गए ऐसे कार्यों की गिनती घरेलू काम-काज में कर ली जाती है। इस प्रकार यह मान लिया जाता है कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी न के बराबर है।

ग्रामीण निर्धनता को दूर करने का संकल्प तभी पूरा हो सकता है जबकि स्त्री-पुरुष दोनों को ही लाभदायक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। निःसंदेह बड़े पैमाने पर स्व-रोजगार में लगे ग्रामीणों की जनसंख्या में बेरोजगारी का अनुमान लगाना काफी कठिन है। यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों को रोजगार एवं बेरोजगार की श्रेणी में आसानी से नहीं रखा जा सकता है क्योंकि वर्ष के कुछ महीनों में प्रायः सभी को रोजगार प्राप्त रहता है तथा वर्ष के कुछ महीनों में सभी बेरोजगार रहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ परिवार नियमित आय के लिए रोजगार चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी असंगत श्रमशक्ति का एक ऐसा वर्ग है जो विकास कार्यक्रमों से लाभान्वित नहीं हो सका है और यह वर्ग केवल मजदूरी पर निर्भर है। ग्रामीण विकास में इस वर्ग के ग्रामीण गरीबों को सम्मिलित नहीं किया जा सका है।

आर्थिक विकास के ढांचे में परिवर्तन से स्त्रियों का रोजगार प्रभावित हुआ है। एक सर्वेक्षण में यह अनुभव किया कि नवीन तकनीक से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर कम हुए हैं। उदाहरण के तौर पर चावल मिलों की नवीन तकनीक के कारण परंपरागत तरीके से धान से चावल बनाने की प्रक्रिया में लगी ग्रामीण महिलाओं के रोजगार के अवसर कम हुए। किंतु यह उल्लेखनीय है कि नवीन तकनीक द्वारा महिलाओं से जो कार्य छीने गए, वे अत्यंत थकाने वाले एवं जटिल प्रकृति के कार्य थे। अतः बड़े संस्थानों जैसे चावल मिलों, दाल मिलों को उन महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए। आर्थिक विकास भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनेक ऐसे परिवर्तन लाता है जो महिलाओं के रोजगार अवसरों को प्रभावित करते हैं।

विभिन्न संवर्गों की ग्रामीण महिलाओं के लिए अपेक्षित कुशलताएं

ग्रामीण महिलाओं को लाभदायक रोजगार प्रदान करने और पुरुषों के बराबर पारिश्रमिक अर्जित करने में आड़े आने वाले अवरोधों का उल्लेख किया जा चुका है। इन सामाजिक-आर्थिक अवरोधों के बावजूद प्रत्येक के समाधान के उपाय भी ढूंढने होंगे। ये उपाय कुछ अवरोधों के लिए अल्पकालिक तथा कुछ के लिए दीर्घकालिक नीतियों के रूप में हो सकते हैं। रोजगार चाहने वाली महिलाएं मुख्यतः गरीब कृषक परिवारों अथवा भूमिहीन श्रमिक परिवारों की होती हैं। सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के लिए इन दोनों ही परिवारों की ग्रामीण महिलाओं के लिए वांछित कुशलताओं

और सुविधाओं की दृष्टि से इनकी आवश्यकताओं की पृथक-पृथक समीक्षा की जानी आवश्यक है। रोजगार का सृजन करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों को बनाते समय इनमें गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली ग्रामीण भूमिहीन महिलाओं की प्राथमिकता सुनिश्चित की जानी चाहिये। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा खोले गये रोजगार के नवीन उपायों से उत्पन्न अवसरों से महिलाओं को लाभ देने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के लिए विद्यमान अवसरों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी होगी एवं उनमें समुचित संशोधन तथा विस्तार करना होगा।

जहां तक गरीब महिलाओं का प्रश्न है उन्हें इस प्रकार की दक्षता या प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी पर रोजगार मिल सके। इनके लिए शिशुओं की देखभाल, ग्राम शिल्प, कताई, बुनाई, चटाई बुनने, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, सिलाई, चित्रकला आदि का प्रशिक्षण स्वरोजगार एवं पारिश्रमिक प्राप्ति हेतु दोनों ही दृष्टियों से काफी लाभप्रद हो सकता है।

ग्रामीण महिलाओं के उपरोक्त विकास, राष्ट्रीय उत्पादन में उनकी सहभागिता और समाज में अग्रणी भूमिका के लिए आवश्यक है कि उन्हें आरक्षण के माध्यम से विशेष अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। उनकी सामाजिक कुंठाओं को समाप्त करने की दिशा में उन्हें विशेष प्रोत्साहन, सहयोग एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यह तभी संभव हो सकता है जब समाज का एक बड़ा वर्ग उन्हें समानता और समता का दर्जा दे और उनकी क्षमताओं को विकसित करने का अवसर प्रदान करे। सरकार को इस दिशा में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। राजनैतिक चेतना के माध्यम से और आर्थिक सहयोग प्रदान कर सरकार महिलाओं को स्वावलंबी और राष्ट्रीय उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकती है। लेकिन इस दिशा में महिलाओं को स्वयं जागृत होना पड़ेगा और उन्हें ग्रामीण स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा।

लघु कथा

बंटवारा

डा० राकेश अग्रवाल

"अम्मा हमारे आंगन में यह दीवार क्यों खड़ी हो रही है? इससे तो हमारा आंगन छोटा हो जायेगा। हमारे खेलने की जगह नहीं बचेगी।" छोटे से अखिल की बातें सुनकर उसकी मां सुनीता ने उसे समझाते हुए कहा कि हममें और ताऊ जी में बंटवारा हो रहा है। अखिल उस समय बंटवारे का अर्थ पूरी तरह भले ही न समझा हो, पर आंगन में खिंचती दीवार को देखकर एक बार वह उदास जरूर हो गया और अपने छोटे भाई निखिल को गोदी में लेकर बाहर चला गया।

बीस वर्ष पंख लगाकर उड़ गये। अखिल और निखिल दोनों की शादी हो गयी। आज उनके भी आंगन में दीवार खिंच रही थी, दोनों के बेटे खिंचती दीवार को विस्मय से देख रहे थे। हम कहां खेलेंगे? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। बंटवारा अपनी गति से चल रहा था।

"हिमदीप" राधापुरी,
हापुड़-245101 (उ०प्र०)

भारतीय नारी : यथार्थ और अपेक्षाएं

डा. कृष्णकुमार मिश्र

भारतीय धर्मग्रन्थ "दुर्गा-सप्तशती" में एक आदर्श वाक्य आया है—"विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु" अर्थात् इस सम्पूर्ण जगत में समस्त विद्यायें तथा सम्पूर्ण स्त्रियां उस एक परमात्म-शक्ति दुर्गा मां के ही रूप हैं। दुर्भाग्य से इस आदर्श वाक्य की भावना को हमने अपने वर्तमान सामाजिक-जीवन में उपेक्षित एवं विस्मृत-सा कर दिया है। हम नारी के गौरव को भुला बैठे हैं। फलस्वरूप पथ-भ्रष्ट की तरह प्रगति एवं सफलता की राह की ओर अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं जो सम्भव नहीं है। नारी की सहभागिता के बिना हम किसी उच्च शिखर पर नहीं पहुंच सकते। यदि पहुंच भी गये तो उपलब्ध संसाधनों का समुचित दोहन करना कदापि सम्भव नहीं होगा। पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्धों और स्नेह की सेतु नारी को जब तक हमारे सामाजिक क्रियाकलापों में उचित स्थान नहीं मिलेगा तब तक सुखी समाज की संरचना मात्र दिवास्वप्न ही रहेगी।

भारतीय संस्कृति में अर्द्धनारीश्वर की कल्पना और पूजा इसी बात को इंगित करती है कि नर और नारी सृजन में बराबर के भागीदार हैं और इसी परिकल्पना में "या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता" तथा "या देवी सर्व भूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता" आदि उक्तियों द्वारा स्त्री को पुरुष के ऊपर रखा गया है। हमारा उद्देश्य इस सैद्धान्तिक महत्वपूर्ण विचारधारा को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान कर आचरण में उतारना है तभी स्त्री-समाज और समग्र राष्ट्र का विकास सम्भव है। एक माता भावी नागरिक को बनाने में पिता की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है।

समाज की संरचना में नारी की भूमिका न केवल बच्चों के विकास के लिए उत्तरदायी है बल्कि वह वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगौलिक और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आज जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलायें उत्कृष्ट भूमिका न निभा रही हों। एक ओर जहां शहरी महिलायें स्कूलों, कालेजों, दफ्तरों, कारखानों आदि में पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर देश के विकास में संलग्न हैं वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलायें खेतों, खलिहानों तथा अन्य विविध क्षेत्रों में रात-दिन काम करके देश के आर्थिक विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। इन सबके बावजूद समाज में नारी पुरुष से हेय समझी जाती है और हमारा समाज जो अपनी संस्कृति की दुहाई देता है, आज भी नारी को अबला ही बनाये रखना चाहता है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी की इन सारगर्भित पंक्तियों को समझने की आवश्यकता है:

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आंचल में है दूध और आंखों में पानी"।।

सैद्धान्तिक दृष्टि से नारी को पुरुष के समान माना जाता है लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से वह आज भी द्वितीय श्रेणी में गिनी जाती है जबकि राष्ट्र के समग्र विकास के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम उसकी बौद्धिक क्षमता का लाभ उठाकर राष्ट्रीय चेतना विकसित करें तथा उचित अवसर प्रदान कर उसे सहगामिनी बनायें।

परिवार रूपी गाड़ी के स्त्री और पुरुष दो पहिये हैं। परिवार में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखना केवल स्त्रियों का दायित्व नहीं है बल्कि पुरुषों का भी उतना दायित्व है, किन्तु कामकाजी महिलाओं के सम्बन्ध में किये गये एक सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकला कि 70 प्रतिशत पुरुष उनके परम्परागत कार्यों में मदद नहीं करते। ऐसी स्थिति में स्त्रियों को कार्यालय जाने से पूर्व घरेलू कार्य करने पड़ते हैं और कार्यालय से आने के पश्चात् सुबह के अधूरे छोड़े हुए तथा अन्य कार्य करने पड़ते हैं। समुचित आराम का समय न मिलने से थकावट और झुंझलाहट से पारिवारिक तनाव और संघर्ष पैदा होते हैं।

संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये गये हैं। इसमें तनिक सन्देह नहीं कि इसका लाभ लेते हुए महिलाओं ने इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और

चुनाव जीतकर विभिन्न पदों पर आसीन भी हुईं लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी अनेक महिलाओं के पति ही उनकी जगह बैठकों में जाते हैं तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं और बैठक के बाद उनके अंगूठे/हस्ताक्षर ले लिये जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज भी महिलाओं में वह राजनीतिक चेतना नहीं आयी है जो आनी चाहिये। अतः उन्हें इस लायक बनाना होगा कि वे अपनी जिम्मेदारी को बेहिचक निभा सकें। यदि केवल कुछ थोड़ी सी महिलायें ही इस दिशा में रुचि लेती हैं तो हमारा जो सम्पूर्ण विकास का लक्ष्य है वह कभी पूरा नहीं हो पायेगा।

वर्तमान समाज को आज अनिवार्य परिवर्तन की आवश्यकता है। उसके स्वरूप एवं कार्य दोनों स्तरों पर मौलिक बदलाव होना चाहिये। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय भावी नीति (1988-2000) के अनुसार महिलाओं के समग्र विकास की संकल्पना आजादी के 48 वर्ष बाद भी उत्साहजनक नहीं है। महिलायें आज भी नाजुक, असहाय और शक्ति विहीन मानी जाती हैं। अशिक्षा, बेरोजगारी, उत्पादक साधनों की कमी, परिसम्पत्तियों पर नियंत्रण का अभाव और अपने महत्व के प्रति जानकारी की कमी आज भी विद्यमान है।

बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि विश्व में आज भी कुछ सम्प्रदाय धर्म की आड़ में स्त्रियों को दास बनाये रखना चाहते हैं। भ्रूण परीक्षण करवाकर कन्या होने पर गर्भपात करवाना आम बात होती जा रही है। इसमें जितना पुरुष दोषी है उससे कहीं ज्यादा वह मां जो इस अमानवीय क्रूर कृत्य के लिये तैयार हो जाती है। इस सन्दर्भ में कहना यह है कि भ्रूण परीक्षण पर कड़ाई से रोक लगायी जानी चाहिये।

परिवार के मुखिया, सास, जेठानी, ननद जैसे स्नेह और आदर के पात्रों द्वारा बहुओं को आय का स्रोत समझकर उत्पीड़ित करने जैसा घिनौना दृश्य हृदय विदारक होता है। यह विडम्बना ही कही जायेगी कि एक प्रबुद्ध नारी पुत्र उत्पन्न होने पर हर्षित और पुत्री होने पर उदास हो जाती है। इस प्रवृत्ति से भी हमें छुटकारा पाना होगा। इसके लिए नारी शिक्षा, सामाजिक चेतना और मानवीयता के संचार की महती आवश्यकता है।

नारी सहधर्मिता को यदि हम पारिवारिक सन्दर्भ में देखें तो ज्ञात होता है कि नारी की उपयोगिता एवं सहभागिता का अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसने नारी के विशिष्ट गुणों का परिचय प्राप्त किया हो। यदि अनायास उसे नारी से विरत कर दिया जाय तो उसकी स्थिति देखने लायक होती है। उसकी किसी कार्य में रुचि नहीं रह जाती है। इस बात को एक लोकोक्ति में कहा गया है :

"बिन घरनीं घर भूत का डेरा"

प्रायः यह देखा जाता है कि भारतीय पुरुष चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, भले ही आधुनिक होने का दम्भ भरता हो, परन्तु परम्परागत सामाजिक मूल्यों पर आधारित अपनी पुरुष-प्रधान मानसिकता का त्याग नहीं कर पाता है। इसलिये वह घरेलू कार्यों को करने में अपमान का अनुभव करता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि पुरुष वर्ग अपनी परम्परागत पुरुष-प्रधान मानसिकता का परित्याग कर आज के गतिशील समाज की आवश्यकता के अनुरूप महिलाओं को घर और बाहर के कार्यों में सहयोग प्रदान कर उनकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे तभी परिवार, मानव-समाज तथा राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है।

रीडर, भूगोल विभाग,
अतर्रा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अतर्रा (बांदा)

पाठकों के विचार

इस पत्रिका में 'पाठकों के विचार' स्तंभ में पाठकगण ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर अथवा इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों पर अपने विचार भेज सकते हैं। यह विचार दो सौ शब्दों से अधिक न हों और सम्पादक, कुरुक्षेत्र, कमरा न० 655, -'ए' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001 के पते पर भेजे जाएं।

इसके लिए कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा, परंतु उन पाठकों को पत्रिका की एक प्रति भेजी जाएगी जिनके विचार इस स्तंभ में प्रकाशित होंगे। —सम्पादक

महिलाओं के भरण-पोषण के लिए कानूनी प्रावधान

राजेन्द्र प्रसाद जैन

प्राकृतिक रूप से स्त्री-पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति ने जहां एक ओर पुरुष को बल और पौरुष प्रदान किया है, वहीं दूसरी ओर स्त्री को कमनीयता और भावनाएं दी हैं। सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत स्त्री-पुरुष दोनों की हिस्सेदारी समान रही है, एक-दूसरे के बिना दोनों का अस्तित्व अधूरा है।

जहां तक भारतीय समाज का प्रश्न है, समय के विभिन्न काल-खंडों में नारी का स्थान विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग रहा है। वैदिक काल में स्त्रियों को समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण और सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। उन्हें सुख-समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक समझा जाता है।

कालांतर में जब समाज-व्यवस्था क्रमशः पुरुष-प्रधान होती गई और आदमी ने अपने बल और पौरुष का दुरुपयोग करते हुए नारी के प्राकृतिक अधिकारों का अतिक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, तो समाज में स्त्रियों की दशा दयनीय होती चली गई, खास तौर पर मध्य युग के दौरान औरतों के शोषण का क्रम अपने चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा। मध्ययुगीन मानसिकता महिलाओं को मात्र भोग विलास की वस्तु मानने की रही, महिलाओं के भरण पोषण के पुरुष वर्ग के दायित्व को बिल्कुल बिखरा दिया गया। निराश्रित महिलाओं के समक्ष भूखों मरने की नौबत आ गई। समाज एक अराजक स्थिति की ओर बढ़ने लगा। उन्नीसवीं शताब्दी में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए अनेक समाज-सुधारकों ने व्यापक प्रयास किए।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद महिलाओं के अधिकारों को पर्याप्त महत्व दिया गया है। किसी भी समाज में स्त्रियों की स्थिति ही, उस समाज की प्रगतिशीलता और जीवन्तता का सबसे कारगर पैमाना है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के अभाव में औरत के उत्थान की बात करना बिलकुल बेमानी है। आज हमारे समाज में महिलाएं आमतौर पर आर्थिक रूप से पराधीन हैं। उनके पास जीवन यापन के लिए आय के कोई स्वतंत्र साधन उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें पुरुषों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि पति भरण-पोषण से इंकार कर दे तो आमदनी का कोई जरिया नहीं होने के कारण पत्नी के समक्ष जीवन यापन हेतु गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में पत्नी द्वारा पति से अपने स्वयं के लिए तथा अपने अवयस्क बच्चों के लिए भरण पोषण की राशि प्राप्त किए जाने संबंधी कानूनी प्रावधान किए गए हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत कोई भी स्त्री, जो अपना भरण-पोषण स्वयं करने में असमर्थ है, और उसका पति भरण-पोषण करने से इंकार करता है, तो वह स्त्री अपने निवास-स्थान की अधिकारिकता वाले प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष पति से भरण-पोषण खर्च दिलवाए जाने हेतु आवेदन कर सकती है तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट पत्नी के आवेदन पर समुचित वैधानिक प्रक्रिया से जांच करने के पश्चात पति को आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी को जीवन यापन हेतु एक निश्चित राशि प्रति माह अदा करे। जब पत्नी बिना किसी उपयुक्त और युक्ति-युक्त कारण के अपने पति के साथ रहने से इंकार करे, वहीं वह भरण पोषण खर्च प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यदि पति-पत्नी परस्पर सहमति से अलग रह रहे हों, उस स्थिति में भी पत्नी धारा 125 के तहत भरण पोषण नहीं मांग सकती।

भरण-पोषण की राशि निर्धारित करते समय न्यायालय पत्नी की न्यूनतम आवश्यकताओं और पति की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखता है। पति के आर्थिक उत्तरदायित्वों को मद्देनजर रखते हुए ही भरण-पोषण की राशि का निर्धारण किया जाता है। किंतु कोई भी व्यक्ति अपनी निर्धनता या साधनहीनता को कारण बताते हुए अपनी पत्नी

और अवयस्क बच्चों को भरण-पोषण खर्च देने से इंकार नहीं कर सकता। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यहां तक कहा है कि संसार का परित्याग कर साधु बन जाने वाला व्यक्ति भी अपनी पत्नी और अवयस्क बच्चों के भरण-पोषण हेतु बाध्य है। धारा 125 के प्रयोजनों के लिए शब्द 'पत्नी' में तलाकशुदा पत्नी, जिसने दूसरा विवाह नहीं किया है, भी शामिल है। अर्थात पति से विवाह विच्छेद हो जाने के बाद यदि किसी स्त्री ने पुनर्विवाह नहीं किया है तो वह भी भरण-पोषण खर्च प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

पति द्वारा पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह कर लिया जाना भरण-पोषण खर्च प्राप्त करने का एक अच्छा आधार है। पति द्वारा दूसरा विवाह किया जाना पत्नी के लिए अलग रहने का उपयुक्त तथा युक्तियुक्त कारण है।

यदि पत्नी के पास अपने जीवन यापन हेतु आय के पर्याप्त साधन व स्रोत उपलब्ध हैं, तो वह पति से भरण पोषण खर्च प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं।

पत्नी न केवल अपने पति से बल्कि पति की मृत्यु हो जाने पर अपने श्वसुर से भी भरण-पोषण की मांग कर सकती है। ऐसा वह केवल उस स्थिति में कर सकेगी, जब उसके पास आय के कोई स्वतंत्र स्रोत उपलब्ध न हों अथवा अपने पति की जायदाद या पुत्र से भरण-पोषण प्राप्त करने में असमर्थ हो।

भरण-पोषण के अंतर्गत भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा आदि सभी प्रकार के खर्च शामिल हैं। अविवाहित पुत्री के विवाह में होने वाले आवश्यक और उचित खर्च भी भरण-पोषण के तहत आते हैं।

धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान हिंदू, जैन, सिक्ख, मुस्लिम आदि सभी धर्म के व्यक्तियों पर लागू होते हैं। कुछ समय पूर्व पारित मुस्लिम महिला (तलाकशुदा) अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि धारा 125 के प्रावधान तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं होगें। इस वर्ग की महिलाएं मात्र इद्दत की अवधि का भरण-पोषण प्राप्त कर सकेंगी।

धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी महिला की अपने पति से भरण-पोषण खर्च प्राप्त करने के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करना होता है।

भरण-पोषण का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन की तिथि अथवा आदेश की तिथि से दिया जा सकता है। आदेश के पश्चात यदि कोई व्यक्ति मासिक भरण-पोषण खर्च अदा नहीं करता तो उसे एक माह तक की सजा हो सकती है। यदि वह अगले माह भी भरण-पोषण नहीं देता तो उसे अगले माह भी सजा हो सकती है।

धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अतिरिक्त हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में भी पत्नी के लिए भरण-पोषण प्राप्त करने हेतु प्रावधान है। हालांकि इस अधिनियम की धारा 24 के प्रावधान पति और पत्नी दोनों पक्षों के लिए समान हैं। न्यायालय वैवाहिक विवादों से संबंधित इस अधिनियम के तहत होने वाली किसी भी कार्यवाही में किसी पक्ष को, जिसकी स्वतंत्र रूप से कोई आय न हो, भरण-पोषण खर्च दिलवाए जाने का आदेश प्रदान कर सकता है। भरण-पोषण खर्च निर्धारित करते समय न्यायालय पीड़ित पक्ष की आर्थिक स्थिति और आवश्यकताओं तथा दूसरे पक्ष की आर्थिक हैसियत को आधार मानेगा।

वैवाहिक संबंधों में जब टूटन का सिलसिला शुरू होता है, तो सामान्यतः प्रारंभिक रूप से पत्नी के समक्ष समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो जाता है। पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों के इस भीषण दौर में भरण-पोषण संबंधी कानूनी प्रावधान न केवल स्त्री को एक मजबूत सहारा प्रदान करते हैं बल्कि उसकी आर्थिक समस्याओं को एक हद तक कम करने में भी मददगार होते हैं। इन कानूनी प्रावधानों का लाभ पीड़ित महिला तक पहुंचाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए।

34, बंदा रोड,
भवानीमण्डी (राज०),
पिनः 326502

स्त्रियों में नशा : बढ़ती प्रवृत्ति

✍अमिताभ रंजन शुक्ल

एम. टी. वी., चैनल वी, स्टार टी. वी. एवं अनेक चैनलों के आकाशी-आक्रमण ने भारतीय समाज की सभ्यता एवं संस्कृति की जड़ें हिलाना शुरू कर दिया है। दूरदर्शन के नये-नये धारावाहिकों में नई उन्मुक्त औरत की अब तस्वीर दिखना शुरू हो गई है। आधुनिकता यूरोपीयकरण का पर्याय बनती जा रही है। नई कम्पनियों एवं उत्पादों के साथ नयी मान्यतायें एवं संस्कार भारतीय समाज में पैठ जमाते जा रहे हैं। इस सबके बीच एक और बात अपने पश्चिमी स्वरूप में सामने आ रही है, वह है—भारतीय महिलाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति।

यदि सोमरस को नशीला पेय माना जाए तो भारतीय स्त्रियों में नशे की परम्परा प्राचीन काल से ही रही है। मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और खासकर मुगल बादशाहों के हरमों एवं महलों में औरतों के नशा करने, खासकर मदिरा सेवन के पर्याप्त उदाहरण हैं। परन्तु मदिरा सेवन करने वाला यह वर्ग तत्कालीन जनसंख्या के अनुपात में अत्यन्त कम था तथा कुलीन वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित था। यह कभी भी भारतीय समाज की मान्यता नहीं प्राप्त कर सका। हालांकि जनजातीय, कबिलाई एवं बंजारा वर्ग की महिलाओं में नशे की एक मान्य परम्परा थी और अब भी बहुत हद तक है। परन्तु इस वर्ग की महिलाओं के लिए नशा या तो धार्मिक रीति रिवाजों का एक अंग था या उत्सव के अवसर पर मनोरंजन का साधन।

नशे की प्रवृत्ति को आज हम मुख्यतः दो वर्ग में रख सकते हैं—अचेत स्थिति एवं सचेत स्थिति। अचेत स्थिति में नशा करने वाली महिला इसके कुप्रभावों से भिज्ञ नहीं होती है और यहां तक की उसे अपने नशे की गुलामी का अहसास भी नहीं होता। जनजातीय क्षेत्रों जैसे छोटानागपुर में हड़िया, उत्तर-पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में छांग इत्यादि मादक पेय सेवन की प्रवृत्ति इस स्थिति में रखी जा सकती है।

दूसरी स्थिति, सचेत स्थिति सभ्य एवं आधुनिक कहे जा रहे समाज की महिलाओं में विद्यमान है। उन्हें अपने नशे की प्रवृत्ति और इसके कुप्रभावों का पता होता है, परन्तु नशे के स्वप्निल मादक संसार का आकर्षण उन्हें इस दिशा में खींचता जाता है। मजेदार बात यह है कि इस स्थिति में बहुत दूर तक सफर तय कर गई कुलीन महिलायें और अधिक सभ्य एवं आधुनिक समझी जाने लगी हैं।

महिलाओं में नशा प्रवृत्ति के और भी कारक हैं जो साधारणतया पुरुषों में नशे की प्रवृत्ति के कारकों के समान ही हैं। अत्यधिक मानसिक तनाव जो आधुनिक जीवन का एक अंग बन चुका है और कटु पारिवारिक माहौल, कई बार स्त्री को नशे की तरफ, प्रायः शराब की तरफ, ले जाता है। बहुत बार मजे के लिए ही लड़कियां नशे के स्वप्न महल का दरवाजा खटखटाती हैं। घर-परिवार से अलग, पढ़ाई या नौकरी के लिए शहर में रहनेवाली लड़की आजकल रम, विस्की इत्यादि के दौर का प्रायः किसी खास अवसर पर सेवन करने में नहीं झिझकती है। बहुत बार अपने पुरुष मित्रों के कारण या घर में पति की जिद के कारण भी कई महिलाओं को नशा करने पर मजबूर होना पड़ता है।

महानगरों की फैशनेबुल महिलाओं में सबसे लोकप्रिय नशा शराब ही है क्योंकि यह प्रायः पति या अन्य पीने वालों के साथ 'पीने के अपराधबोध' को कम कर देता है। ऊपर से अब यह 'गंदी दृष्टि' से भी नहीं देखा जा रहा है। इसी कारण मद्यपान अब धीरे-धीरे उच्च वर्ग के शयन कक्ष से मध्यमवर्ग के ड्राईंग रूम तक आने लगा है। धूम्रपान तथाकथित आधुनिक युवतियों में ही अधिक लोकप्रिय है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में बीड़ी एवं तम्बाकू का इस्तेमाल काफी प्रचलित रहा है परन्तु सामाजिक विकास एवं शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ यह धीरे-धीरे समाप्त ही होता जा रहा है। महिलाओं में पान खाने की प्रवृत्ति गंगा के मैदानी इलाकों में यद्यपि अब भी व्याप्त है, परन्तु महंगे होते पान-मसालों ने इस पर कुछ हद तक रोक लगा दी है। पौली पैक पान-मसाले अब पान की जगह ले रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का अच्छा-खासा वर्ग पान-मसाला उद्योग का संरक्षक बन बैठा है।

नशा करनेवाली प्रायः प्रत्येक शहरी महिला को नशे के कुप्रभाव का पता होता है। शिक्षा एवं दूरसंचार माध्यमों के विस्तार के कारण उसे पता चल चुका होता है कि सिगरेट से फेफड़ों की बीमारी होती है, कैंसर होता है एवं हृदय रोग की संभावना बढ़ती है। इसके बावजूद तथाकथित आधुनिका सिगरेट पी रही है, भले ही एक सिगरेट जीवन के पांच मिनट कम कर देता है एवं शराब व धूम्रपान का नशा गर्भस्थ शिशु पर कुप्रभावों की काली मुहर लगा कर गर्भपात तक करा देता है। सिगरेट जान लेवा है इसका उदाहरण हमें पेरिस में इस वर्ष हुए स्वास्थ्य पर नवें विश्व सम्मेलन में मिला जिसमें कहा गया कि इसकी लत विश्वभर में प्रतिवर्ष पांच लाख महिलाओं की जान ले लेती है।

एक तरफ जहां आधुनिकता एवं उन्मुक्त संस्कृति का मसीहा अमरीका धूम्रपान के खिलाफ नये सिरे से जंग का ऐलान कर रहा है वही हमारी भारतीय आधुनिकायें सिगरेट के धुयें से भारतीय संस्कृति और समाज की होलिका जलाने का प्रयास कर रही हैं। महिलाओं में नशे की प्रवृत्ति यदि इसी तरह अबाध गति से बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब मद्यपान-विरोधी विज्ञापन में हाथ में शराब की बोतल लिए लौटते पति की जगह कोई महिला ले ले। वैसे दोनों मामलों में अंतिम वाक्य एक ही रहेगा कि नशा परिवार एवं समाज का कोढ़ है।

द्वारा सूरज सिंह,
109/4, फ्लैट न० सी-1,
मुनिरका गांव, नई दिल्ली-110 067

महिला कोष से 80 हजार महिलाएं लाभान्वित

निर्धन महिलाओं को स्व-रोजगार के लिए प्रेरित करने हेतु गठित किए गए राष्ट्रीय महिला कोष से अब तक लगभग 80,000 निर्धन महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। इस कोष से अब तक 14 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

इस कोष की ऋण समिति ने नवम्बर 1995 में अपनी बैठक में 8,740 महिलाओं के लिए दो करोड़ रुपये से अधिक राशि स्वीकृत करने की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने स्वीकार कर लिया है।

इस कोष से लघु अवधि और मध्यम अवधि दोनों तरह के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। लघु अवधि ऋणों के तहत गरीब महिलाओं को 2,500 रुपये तक का ऋण दिया जाता है, जिसे छः से 15 महीने में लौटाना होता है। मध्यम अवधि ऋणों के अन्तर्गत 5000 रुपये तक के ऋण दिए जाते हैं, जिसे तीन से पांच वर्ष में लौटाना होता है। इस कोष से स्वैच्छिक संगठनों को धनराशि दी जाती है, जो फिर लाभग्राहियों को उसे ऋण के रूप में उपलब्ध कराते हैं।

यह कोष पिछले दो वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसकी मुख्य विशेषता इसकी उच्च वसूली दर (90 प्रतिशत) है। ये ऋण गरीब महिलाओं को दुग्ध उत्पादन, खान-पान की दुकान और फल-विक्रय जैसे आय अर्जक गतिविधियों के लिए दिए जाते हैं।

एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 30 प्रतिशत परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं, जिन्हें ऋण की आवश्यकता है। इस कोष को स्थापित करने का उद्देश्य ऐसी गरीब और गैर संगठित महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराना है, जिन्हें अन्यथा ऋण प्राप्त नहीं होता।

साभार : पत्र सूचना कार्यालय

कहानी

गोपा

✍डा० शीतांशु भारद्वाज

मीटिंग हाल में डी० पी० सी० की मासिक बैठक चल रही थी। आज भी ब्लाक प्रमुख शेरसिंह उसमें अपना ही राग गाए जा रहे थे। दूसरे सदस्य भी उन्हीं की देखा-देखी हां-में-हां मिलाने लगे। उस नाटक को देखकर गोपा अंदर-ही-अंदर कसमसाने लगी। एक अकेली वह और कर ही क्या सकती थी?

"तो सर्व सम्मति से यह मान लिया जाए कि प्रस्ताव पारित हो गया?" शेरसिंह की कौड़ी-सी आंखें सदस्यों पर फिसलने लगीं।

"बिलकुल!" सभी सदस्यों ने हाथ खड़े कर लिए। केवल गोपा ही थी जो उस प्रस्ताव से असहमत थी।

"क्यों गोपाजी?" विकास अधिकारी खान गोपा की ओर उन्मुख हुए। "ये तो हमेशा ही मेरा विरोध करती रहेंगी।" शेरसिंह ने व्यर्थ का ठहाका लगा दिया, "विरोध, विरोध के लिए!"

"प्रमुखजी!" गोपा खून का घूंट भर कर रह गई।

"माफ करना, देवीजी!" शेरसिंह मुस्करा दिए, "सच बोलने में संकोच कैसा!"

बैठक में सुलभ शौचालयों पर विचार-विमर्श चल रहा था। सरकार ने प्रत्येक ग्राम सभा के लिए एक-एक शौचालय निर्माण की योजना बनाई थी। ब्लाक प्रमुख खान साहब की ओर घूम गए, "अब दूसरा मुद्दा उठाया जाए!"

"जनता की ओर से शिकायतें मिल रही हैं कि पशु संबंधी ऋण वितरण में धांधलियां चल रही हैं। विकास अधिकारी एक फाइल को देखने लगे, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए!"

"धांधलियां तो हर कहीं ही चल रहीं हैं, खान साहब!" शेरसिंह ने गहरी सांस खींची, "ओ यों कहें न कि अंधेर नगरी, चौपट राजा। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा!"

इस पर सदस्यों ने ठहाके लगा दिए। खान साहब संजीदा हो आए, "यह मामला यों ही हंसी में टाल देने वाला नहीं है, सिंह साहब!"

"ऐसा है, खान साहब!" शेरसिंह ने भी अपने चेहरे पर गंभीरता ओढ़ ली, "इस प्रकार की धांधलियां तो ऊपर से ही चलती आ रही हैं। हमारे लोगों को ऋण के नाम पर कुछ तो मिल ही रहा है न!"

"यों भी छीजन तो हर कहीं होती ही है।" एक सदस्य ने कहा।

"क्यों दीपाजी?" ब्लाक प्रमुख दीपा की ओर घूम गए।

"जी हां!" दीपा ने भी उन्हीं का समर्थन कर दिया, "कहते हैं न कि भागते भूत की लंगोटी ही सही!"

डी०पी०सी० में दो ही महिला सदस्य थीं। गोपा जानती थी कि दीपा प्रमुख का ही समर्थन करेगी।

बैठक का विषय बदला। अब चर्चा बालवाड़ी पर होने लगी। इस योजना पर सभी अपनी-अपनी ग्राम सभाओं पर जोर दे रहे थे। खान साहब ने सुझाव दिया, "देखिए साहबान! सारे ब्लाक में केवल पांच ही बालवाड़ियों की स्वीकृति मिली है। आप कहें तो हम अपने ए०डी०ओ० से सर्वे करवा लें।"

"क्यों?" शेर सिंह सदस्य-मंडली की ओर घूम गए।

"ठीक है।" सभी ने एक स्वर में कहा।

गोपा के सिर में जोर का दर्द हो आया था। चाय का भी समय हो रहा था। बैठक से उठ कर वह बाहर चल दी। बरामदे की बेंच पर वह माथा थाम कर बैठ गई। उसके दिमाग में बवंडर उठ रहा था। 'नहीं, वह जनता के साथ

अन्याय नहीं होने देगी।'

"सिर दर्द हो आया होगा।" ब्लाक के चपरासी ने उसे चाय थमा दी, "है न?"

सिर हिला कर गोपा चाय पीने लगी।

"देवीजी!" शेरसिंह बाहर आकर उससे निवेदन करने लगे, "यों आपके विरोध से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने का। आप बात-बात पर न रूठा करें।"

गोपा उन्हें खा जाने वाली नजरों से देखने लगी।

"मैं आपको मनाने आया हूं।" शेरसिंह ने विनम्रता से कहा, "बैठक की बाकी कार्यवाही में भी भाग लो न।"

चाय के बाद बैठक फिर से चलने लगी। गोपा ब्लाक आफिस से निकल कर सामने के खेत की ओर चल दी। वहीं एक साफ-से पत्थर पर बैठ कर वह दूर-दूर तक बाहें पसारी हुई पहाड़ियों को देखने लगी।

"जहां-जहां भी सड़क और बिजली के तार जाएंगे, वहां बर्बादी होगी!" कभी गांव के वयोवृद्ध पुरोहित गोपदेव कहा करते थे।

गोपा को आज उनके कथन में सच्चाई नजर आ रही थी। विकास के नाम पर पहाड़ किस कदर बर्बाद हो रहे हैं! वहां हर प्रकार के ऐब घर करने लगे हैं। तो क्या एक अकेला चना भाड़ फोड़ पाएगा? गोपा को याद हो आया कि कभी गांधी बाबा ने भी तो अकेले ही कमर कसी थी। चूड़ियों की खनक से उसकी तंद्रा भंग हुई। देखा तो उसके पास दीपा खड़ी थी। दीपा का हाथ उसके कंधे पर आ लगा, "पागल हो गई है क्या? एक तेरे विरोध करने से क्या होता है?"

"नहीं दीदी!" गोपा ने उसके कथन का खंडन कर दिया, अन्याय का तो विरोध होना ही चाहिए!"

"घर तो चलेगी न?"

"मीटिंग समाप्त हो गई क्या?"

"हां।" दीपा ने बताया, बी०डी०ओ० को लखनऊ से जरूरी फोन आ गया था। बाकी एजेंडा अगली बैठक के लिए छोड़ दिया गया है।"

दोनों उधर से ब्लाक आफिस के आगे खड़ी हो गईं।

सड़क के नीचे कैंटीन में शेरसिंह सदस्यों के लिए विशेष दावत की व्यवस्था कर रहे थे।

"बस से चलेगी न?" दीपा ने पूछा।

"नहीं! पैदल ही चलते हैं। गोपा ने कहा, "तीनेक किलोमीटर की तो बात है"।

"फिर चलो।"

दोनों कोलतार बिछी सड़क नापने लगीं। एक मोड़ पर गोपा रुक गई। वह दीपा को सामने का बंगला दिखलाने लगी, "देखो दीदी! प्रमुख ने अपना जो दुमंजिला बंगला बनवाया है, वो कैसे बना?"

"अरी, वे तो पुश्तैनी अमीर हैं।"

"खाक!" गोपा मुंह बनाने लगी, "लोग बताते हैं कि प्रमुख के बाबू कभी सड़क के किनारे चाय बेचा करते थे।"

"तो तेरा मतलब है कि ...।" दीपा आगे चलने लगी।

"हां! इस जालिम ने विकास के नाम पर सरकार और जनता दोनों को ही चूना लगाया है।" गोपा प्रमुख का कच्चा चिट्ठा खोलने लगी, "जीप भी तो उन्होंने उसी से खरीदी है।"

"लेकिन गोपा!" दीपा शेरसिंह का गुणगान करने लगी, "इतने वर्षों से प्रमुख भी तो वही बनते आ रहे हैं! चुनाव में वे बड़े-बड़ों को लंगड़ी मारा करते हैं।"

"ये सब पैसे के बलबूते पर करते हैं।" गोपा ने कहा, "आप भी जानती हैं।"

"लेकिन अकेली हम दोनों...।" दीपा शंकाकुल होने लगी, "कहते हैं न कि एक अकेला चना...।"

"भाड़ फोड़ सकता है, दीदी।" गोपा ने कंधे उचका दिए, "आप साथ देंगी तो...।"

"ठीक है।" दीपा उससे सहमत हो आई, "लेकिन फिर भी वही ढाक के तीन पात वाली स्थिति होगी।"

किर्र!

"आइए! आप लोगों को जीप से छोड़ देते हैं।" शेरसिंह ने उनसे अनुरोध किया।

"जी नहीं! हम पैदल ही चल देंगी।" गोपा ने रूखाई से कहा।

धूल के गुब्बारे उड़ाती हुई जीप आगे निकल गई।

शाम को गोपा घर आ गई। उसने मां को चाय-चीनी थमा दी, "मां, इसे पूरे महीने चलाना है।"

हुक्का पीते हुए धनसिंह को दमा का धसका उठने लगा। गोपा ने उनके हाथ से हुक्का छीन लिया। "आपके लिए यह हुक्का जहर है! कब से कह रही हूं कि..।"

गोपा ने पिता को एक गोली थमा दी। धनसिंह उसे पानी के साथ निगल गया।

"गोपा!" मां भी वहीं आ गई, "सुना है, तू शेरसिंह से दुश्मनी मोल ले रही है।"

"नहीं मां! मैं तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही हूं। वैसे मैं उनका आदर करती हूं। वे मेरे जेठ हैं न!"

"शिव! शिव!" धनसिंह खाट पर निढाल पड़ गए।

रात के भोजन के बाद वे तीनों बिछौनों पर लेट गए। मां ने गहरी सांस खींची, "गोपू, तू कब तक...। तू हमें कब तक पालेगी? हमारे उठ जाने पर भाई-भावज...।"

"तू दूर की न सोचा कर, मां!" गोपा उसे समझाने लगी, "कल किसने देखा है? कहते हैं न कि कल का नाम काल हुआ करता है।"

"फिर भी! मां की ममता पिघलने लगी, लड़की पराये घर में ही अच्छी लगती है। न जाने वह कौन-सी कुघड़ी थी, जब...।"

गोपा सोचने लगी। समय उसे दगा देता रहा है। जब उसका रिश्ता तय हुआ था तो मां-बाबू दोनों ही खुश थे। जवाई बाबू को उन्होंने ऊपर-ही-ऊपर से देखा था। उसकी नौकरी ने उसके सारे अवगुण ढाप रखे थे।

गोपा का विवाह धूम-धड़ाके के साथ हुआ था। विवाह के बाद पति उसे अपने साथ दिल्ली ले गया था। यमुना पार की तंग बस्ती में उसने एक किराये का कमरा लिया हुआ था। चंदन में एक-से-एक ऐब थे। वह गांजे का व्यसनी था। विवाह के दूसरे ही महीने वह ट्रक की चपेट में आ मरा था। गोपा सिर पीटती ही रह गई थी।

"भाभी!" पड़ोस का युवक उस पर डोरे डालने लगा था, "तुम कहो तो तुम्हें चंदन भाई के ही आफिस में काम दिलवा दें।"

"नहीं।" उसने मनाही कर दी थी, "मुझे नौकरी नहीं करनी है।"

"फिर?"

"मैं अपने पहाड़ चल दूंगी।" वह आंखें पोंछने लगी थी।

गोपा मामा के साथ पहाड़ चली आई थी। तब से वह मां के ही पास है। शेरसिंह दूर के रिश्ते में उसके जेठ लगते थे। उन्होंने उससे डी०पी०सी० की मेम्बरी की पेशकश की थी। इस पर मां ने अपने माथे पर उल्टा हाथ मारा था, "ये क्या मेम्बरी करेगी?"

"करेगी क्यों नहीं!" शेरसिंह अपनी नुकीली मूंछे सहलाने लगे थे, "देश-पहाड़ रही हुई है। वैसे भी हाई स्कूल तक पढ़ी हुई है।"

"ठीक है।" बाबू भी सहमत हो आए थे। "तुम कहते हो तो कर लेगी। तुम तो अपने ही ठहरे! उसके लिए क्या कमी करोगे?"

"तुम चिंता न करो हो!" शेरसिंह मुस्करा दिए थे, "इसे मैं ऐसा ट्रेंड बना दूंगा कि कुछ ही बरसों में ये पूरी लीडर बन जाएगी।" गोपा तीनेक बरस से मासिक बैठकों में भाग लेती आ रही है।

एक दिन शेरसिंह ने गोपा से वहीं रुक जाने को कहा था। वे उसके आगे चारा डालने लगे थे, "देख गोपा! औरत जात मायके में सुखी नहीं रह सकती।"

"तो?"

"ऐसा कर कि तू हमारे यहां चली आ। उसने प्रस्ताव रखा था, "जैसा हम लोग खाएंगे, वैसा ही तू भी खाती रहना। मेरा एक भाई न रहा तो हम तो हैं ही। घर की लाज घर में ही रह जाएगी।"

उस तन्हाई में शेरसिंह कुछ बहकने लगे थे। उसने पी रखी थी।

जेठ की नीयत में खोट देख कर वह बाहर सड़क पर चली आई थी। आखिरी बस से वह घर आ गई थी।

गोपा ही क्या, सभी जानते हैं कि शेरसिंह विकास के नाम पर मौज-मस्ती करता आ रहा है। सीमेंट का कोटा उसने अपने बंगले पर लगवा दिया है। लोगों से अंगूठे टिकवा कर वह विकास के धन को डकारता आ रहा है।

सुबह गोपा घास-लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर चल दी। वहां भोपाल धड़ाधड़ लकड़ियां फाड़ता जा रहा था। ऊपर से गोपा उसे देखती ही रह गई। उसके सारे अंग प्रत्यंग जैसे ढांचे में ढले हुए थे। पिछले कुछ दिन से उसका मन उसी की ओर झुकता आ रहा है। पिछले महीने गांव के सूने पनघट पर उसने कहा था, "गोपा पानी का बहाव और औरत का झुकाव...।"

"ये तो अपने मन की बात होती है।"

"अगर तू कहे तो...।" उसने कहा था, "क्यों न हम दोनों...।"

"घर बसाने से पहले आगे-पीछे का भी तो सोचना होता है न!"

"ठीक है।" भोपाल ने कहा था, "मैं जिंदगी भर तेरा इंतजार करता रहूंगा।"

माथे का पसीना पोंछ कर भोपाल ने कुल्हाड़ी एक ओर रख दी। उसने आवाज दी, "गोपा, यहीं आ जा। मैने बहुत लकड़ियां फाड़ी हैं।"

मुस्करा कर गोपा वहीं चल दी। भोपाल ने कहा, "सुना है तू शेरसिंह से पंगा लेती रहती है।"

"हां मैं लोगों के आगे उनका कच्चा चिट्ठा खोल देना चाहती हूं।"

"लेकिन"... गोपाल सिर खुजाने लगा।

"लेकिन-वेकिन कुछ नहीं। मैं उनके विरोध में जन-जागरण करूंगी। उन्हें बता दूंगी कि अकेले अबला भी अन्याय का मुकाबला कर सकती है।"

"फिर मेरे प्रस्ताव पर तू ने क्या सोचा?" भोपाल ने बीड़ी सुलगा ली।

इस पर गोपा की कनपटियां गरमा गईं। उसने निगाहें झुका लीं।

"तो मैं समझ लूं कि...।" भोपाल का हाथ उसके कंधे पर आ लगा।

गोपा गंभीर हो आई, "मुझे बंधन में तो नहीं रखोगे न?"

"बिलकुल भी नहीं। भोपाल ने कहा, "तुझे खुली छूट रहेगज।"

"फिर ठीक है।" गोपा उदास हो आई, "डोली तो मेरी अब उठने से रही। ऐसा करते हैं कि हम गंधर्व-विवाह कर लेते हैं।"

"वो क्या होता है?"

गोपा मुस्करा दी "तुम मुझे चुरा कर ले जाओ। किसी अंधेरी रात को तुम मेरा अपहरण कर लोगो।"

"ठीक है।" भोपाल कमीज पहनने लगा।

घर आकर गोपा ने मां को सब कुछ बतला दिया। इस पर मां ने कहा, "तू ने ठीक किया, बेटी! भोपाल अच्छा है। वह तुझे फूलों की तरह से रखेगा।"

एक अंधेरी रात को भोपाल उसे अपने घर ले गया। गांव वालों को भी इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ।

ब्लाक में डी०पी०सी० की मीटिंग थी। गोपा और दीपा ने निश्चय कर लिया था कि वे दोनों ब्लाक प्रमुख को उखाड़ कर ही दम लेंगी।

"बी० डी० ओ० साहब!" गोपा उठ गई, "मुझे सुलभ शौचालयों के बारे में कुछ कहना है।"

"कहिए!" खान साहब उसी की ओर घूम गए।

" प्रमुख साहब ने इस मद में हजारों रुपये हजम किए हैं।" गोपा ने कहा।

"गोपा!" शेरसिंह ताव खा गए। वे उसके लिए दांत पीसने लगे।

"गोपा नहीं, गोपा बौराण कहिए।" गोपा सिर के साड़ी के पल्लू को ठीक करने लगी, "मैं विकास अधिकारी से निवेदन करती हूं कि वे शौचालयों की फाइल मंगवाएं। ये सब कागजों पर ही बने हैं।"

"क्या मतलब!" शेरसिंह ने पूछा।

"यही कि आप उस सारी रकम को डकार गए।"

"यों, किचड़ उछालने से बात नहीं बनेगी गोपा देवी!" शेरसिंह संजीदा हो आए।

"अजी, हाथ कंगन को आरसी क्या?" इस बार दीपा भी उठ खड़ी हुई। वह खान साहब की ओर घूम गई, "उन फाइलों को आप खुद ही देख लीजिए न! पिछले बी०डी०ओ० के साथ मिल कर प्रमुख साहब ने...।"

शेरसिंह का चेहरा उतर गया। ये औरतें यों उसकी पगड़ी उछालेंगी, इसकी तो वे कल्पना भी नहीं कर सकता था। खान साहब उसे देखने लगे, "कहिए सिंह साहब?"

"अच्छा तो यही होगा कि प्रमुख साहब अपनी करतूतों को स्वीकार कर लें।" गोपा के होंठों पर मुस्कान उभर आई।

शेरसिंह के ऊपर घड़ों पानी पड़ने लगा। उन्होंने गर्दन झुका ली। खान साहब को चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आने लगा। गोपा गर्दन तान कर शेरसिंह की पोल खोलने लगी। "प्रमुख साहब, आदमी जो कुछ भी करता है, उसे अपने किये का फल यहीं मिल जाता है।"

"अब बस ही कीजिए, गोपाजी! समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अब आप बैठ जाइए!" खान साहब उसे बजने लगे थे।

गोपा कुर्सी पर बैठ गई। बैठक समाप्त हो गई। शेरसिंह का पानी उतर गया था। दीपा के साथ गोपा घर की ओर चलने लगी।

"अरी, तूने तो कमाल ही कर दिया!" दीपा उसकी हिम्मत को दाद देने लगी।

"फिर क्या करती, दीदी?" गोपा मुस्करा दी, "सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता न!"

बातों-बातों में गांव आ गया था। वहां से गोपा अकेली ही अपने गांव की दिशा में हो ली। आज वह बहुत खुश थी। उसने एक अहंकारी के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। वह ढलाऊ रास्ते पर चलने लगी।

शाम ढलने लगी थी। नीचे घाटी का रास्ता झाड़ियों भरा था। गोपा बीच पगडंडी पर चलने लगी। उसे कहीं से छिड़-छिड़ के स्वर सुनाई दिए। आगे के मोड़ पर गुमानसिंह ने उसका रास्ता रोक लिया। लाल आंखों वाला वह गुंडा नशे में धुत था। गोपा की अक्ल चकराने लगी। उसने साहस से काम लेना चाहा। वह जसपूर के उस पालतू गुंडे को अगाह करने लगी, "गुमानसिंह, मेरा रास्ता छोड़ दे! वरना...।"

"साली! अपने प्रमुख से पंगा लेती है!" गुमानसिंह के पांव लड़खड़ाने लगे। "आज ही मैं तेरी बिल्टी बांधता हूं।"

गोपा भी कमजोर न थी। उसने आव देखा न ताव और उसके पेट पर ऐसी लात जमाई कि वह पीठ के बल नीचे के खड्डे में जा गिरा। वह तेजी से भागने लगी पांचेक मिनट बाद वह उस पार के टीले पर जा पहुंची। वहीं से पलट कर वह नीचे देखने लगी। वह गुंडा दोनों हाथ नचाता हुआ न जाने क्या-क्या बक रहा था।

आगे चल कर गोपा को भोपाल मिल गया। गांव की सरहद पर वह उसी की बाट जोहता आ रहा था। गोपा ने उसको सब कुछ बतला दिया। ताव में आकर वह बाहें बटोरने लगा, "तू चिंता न कर! मैं एक-एक को देख लूंगा।"

"इक्के दुक्के के लिए तो मैं ही बहुत हूं।" गोपा हंस दी।

"ठीक है।" भोपाल की आंखों से उसके लिए प्यार की वर्षा होने लगी, हम दोनों एक दूसरे के लिए जिएंगे।

भोपाल का हाथ गोपा के कंधे पर आ लगा। वह फूल-सी महकने लगी। भोपाल ने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखा और आगे की पगडंडी नापने लगा। उसी के पीछे-पीछे गोपा भी चल रही थी। दोनों गांव की ओर जाने लगे।

ऐसे में वह अपने को और भी सुरक्षित महसूस करने लगी। अब वह अपने चहेते की बौराण (पत्नी) जो थी!

138 विद्या विहार, पिलानी,
राज०-333031

देश में सम्पूर्ण साक्षरता प्राप्ति हेतु 'दिल्ली घोषणा' की चुनौतियां

डा० उमेश चन्द्र

जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के नौ अग्रणी देशों के समूह ने एकजुट होकर अपने यहां बसने वाली विश्व की 70 प्रतिशत से अधिक अशिक्षित जनसंख्या को शिक्षित बनाने हेतु 13 से 16 दिसम्बर, 1993 तक दिल्ली में सम्मिलित रूप से 'दिल्ली-घोषणा' के नाम से पारित प्रस्ताव में निश्चय किया था कि वे अपने-अपने देश में इक्कीसवीं सदी में पदार्पण के पूर्व अर्थात् सन् 2000 तक सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे। यूनेस्को के प्रयास से आयोजित इस सम्मेलन में चीन, भारत, इण्डोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बंग्लादेश, मैक्सिको, नाइजीरिया और मिस्र की सरकारों के नेताओं ने एक मत से थाईलैण्ड में "सभी के लिए शिक्षा" पर हुए विश्व सम्मेलन, 1990 में शिक्षा के लिए स्वयं के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का दृढ़ निश्चय व्यक्त किया था। इसी क्रम में भारत में सन् 2000 तक सभी नागरिकों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा विशेष उपायों और प्रावधानों की घोषणा की गई एवं उनका कार्यान्वयन भी किया गया। इसके फलस्वरूप कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं और कई उपलब्धियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है।

'दिल्ली घोषणा' में निर्धारित किए गये लक्ष्यों को समय से प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने हेतु फरवरी, 1994 में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पहला 'शिक्षा पर सम्मेलन' आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 'दिल्ली-घोषणा' में लिए गए निर्णयों पर अमल करने हेतु रणनीति बनाने, पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने और 'शिक्षा में विकेन्द्रित प्रबंध पर समिति' की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना था। इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अपने प्रधानमंत्री ने देश की नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के लिए शिक्षा पर राष्ट्रीय आय की 6 प्रतिशत धनराशि आबंटित करने की महत्वपूर्ण घोषणा की। इस प्रकार नौवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर 53 हजार करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जायेगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का मात्र 3.6 प्रतिशत अर्थात केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कुल मिलाकर लगभग 20 हजार करोड़ रुपये व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया।

शिक्षा के इस अद्वितीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा आठवीं योजना में शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि में कोई कटौती नहीं किये जाने की घोषणा भी की गई और नौवीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास को लक्ष्य रखते हुए समन्वित विकास के कार्यक्रमों को महत्व दिये जाने पर बल दिया गया। देश के प्रधानमंत्री के इस प्रकार के उद्गारों से निश्चय ही सरकार द्वारा इस दिशा में मन से प्रयास करने की बात दृष्टिगोचर होती है और साथ ही उसकी वचनबद्धता भी परिलक्षित हुई है। 1991 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 52.21 प्रतिशत है। यद्यपि पिछले दशक की तुलना में इसमें 8.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। देश में साक्षरता दर विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, पुरुषों और महिलाओं आदि में भी इस दर में काफी भिन्नता मिलती है। पुरुषों में साक्षरता दर 64.13 प्रतिशत और स्त्रियों में यह 39.29 प्रतिशत है। केरल में साक्षरता दर 89.81 प्रतिशत है और यह देश का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। बिहार में साक्षरता की दर न्यूनतम अर्थात 38.48 प्रतिशत है। राजस्थान भी लगभग इसी श्रेणी में आता है जहां साक्षरता की दर 38.55 प्रतिशत है। राजस्थान में स्त्रियों की साक्षरता दर

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ-7

न्यूनतम अर्थात् 20.44 प्रतिशत है। आठ राज्य अभी भी राष्ट्रीय साक्षरता दर 52.21 प्रतिशत से नीचे हैं। तालिका-1 में विभिन्न राज्यों में महिलाओं और पुरुषों की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग एवं कुल साक्षरता दर को प्रदर्शित किया गया है। तालिका-2 में देश में पुरुष एवं महिलाओं की अलग-अलग साक्षरता दर तथा साक्षरों एवं निरक्षरों की कुल जनसंख्या और यौन अनुपात को दर्शाया गया है।

तालिका-1

प्रदेशवार साक्षरता की दर (7 + वर्ष) 1991

राज्य	कुल साक्षरता दर	ग्रामीण साक्षरता दर		शहरी साक्षरता दर	
		पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
1. आन्ध्र प्रदेश	44.09	47.28	23.92	75.87	56.41
2. अरुणाचल प्रदेश	41.59	47.00	25.31	77.99	62.23
3. असम	52.89	58.66	39.19	84.37	73.32
4. बिहार	38.48	48.31	17.95	77.72	55.94
5. गोवा	75.51	81.71	62.87	86.33	73.38
6. गुजरात	61.29	66.84	38.65	84.56	67.70
7. हरियाणा	55.85	64.78	32.51	81.96	64.06
8. हिमाचल प्रदेश	63.86	73.89	49.79	88.97	78.32
9. जम्मू कश्मीर	उप.नहीं	उप.नहीं	उप.नहीं	उप.नहीं	उप.नहीं
10. कर्नाटक	56.04	60.30	34.76	82.04	65.74
11. केरल	89.81	92.91	85.12	95.58	89.06
12. मध्य प्रदेश	44.20	51.04	19.73	81.32	58.92
13. महाराष्ट्र	64.87	69.74	40.96	86.41	70.87
14. मणीपुर	59.89	67.64	43.26	82.11	58.67
15. मेघालय	49.10	44.83	37.12	85.72	77.32
16. मिजोरम	82.27	77.36	67.03	95.15	91.61
17. नगालैंड	61.65	63.42	50.36	85.94	79.10
18. उड़ीसा	49.09	60.00	30.79	81.21	61.18
19. पंजाब	58.51	60.71	43.85	77.26	66.12
20. राजस्थान	38.55	47.64	11.59	78.50	50.24
21. सिक्किम	56.94	63.49	43.98	85.19	74.94
22. तमिलनाडु	62.66	67.18	41.84	86.06	69.61
23. त्रिपुरा	60.44	67.07	44.33	89.00	76.93
24. उत्तर प्रदेश	41.60	52.05	19.02	69.98	50.38
25. पश्चिम बंगाल	57.70	62.05	38.12	81.19	68.25
केन्द्र शासित प्रदेश					
1. अन्डमान निको. द्वीप समूह	70.02	75.99	61.99	86.59	75.08

2. चन्डीगढ़	77.81	65.67	41.83	84.09	74.57
3. दादरा व नगर हवेली	40.71	50.04	23.30	86.35	68.42
4. दमन व दीव	71.20	75.23	46.70	91.14	72.35
5. दिल्ली	75.29	78.46	52.15	82.39	68.54
6. लक्षद्वीप	81.78	88.66	68.72	91.31	76.11
7. पांडिचेरी	74.74	76.44	53.96	87.70	71.98

तालिका-2

भारत में पुरुष एवं महिलाओं में साक्षर/निरक्षरों की संख्या एवं यौन अनुपात

वर्ष	साक्षरता का प्रतिशत			कुल जनसंख्या (करोड़ में)			
	पुरुष	महिला	कुल साक्षरता	कुल जनसंख्या	साक्षरों की संख्या	निरक्षरों की संख्या	यौन अनुपात
1901	9.8	0.6	5.35	23.5	1.2	22.3	972
1911	10.5	1.0	5.92	25.2	1.5	24.3	964
1921	12.2	1.81	7.16	25.1	1.7	23.3	955
1931	15.6	2.9	9.50	27.8	2.6	25.2	950
1941	24.9	7.3	16.10	31.8	5.1	26.7	945
1951	24.9	7.9	18.33	36.1	6.6	30.1	946
1961	34.4	12.9	28.31	43.9	12.4	31.5	941
1971	39.4	16.7	34.45	54.8	18.9	35.9	930
1981	46.8	24.8	43.56	68.3	29.8	38.5	934
1991	63.8	39.4	52.21	84.6	44.2	40.4	929

इक्कीसवीं शताब्दी में पहुंचने से पूर्व शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करना सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार द्वारा द्विमुखी रणनीति तैयार की गई है। पहली के अन्तर्गत 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों तक पहुंचाना है और दूसरी में 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के सभी अशिक्षितों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाकर उन्हें शिक्षित बनाना है। 'दिल्ली घोषणा' के लक्ष्यों को दृष्टिगत करते हुए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्यों के साथ-साथ प्रौढ़ शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है और 'राष्ट्रीय साक्षरता अभियान' की सफलता से प्रेरणा लेकर पूर्व लक्ष्यों को संशोधित करते हुए सन् 1997 तक 10 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से सन् 1995 के अन्त तक 8 करोड़ लोग साक्षर किये जाने हैं। अक्तूबर 1995 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा मिशन' (नीम) की स्थापना किये जाने से प्राथमिक शिक्षा को अब और अधिक गति मिलने की सम्भावना है। सरकार द्वारा स्कूली बच्चों पर पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के बोझ के विषय में अध्ययन करने हेतु गठित 'यशपाल समिति' की सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किया जाना प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की दिशा में एक प्रशंसनीय कदम है। इस समिति द्वारा विद्यालय स्तर तक बच्चों पर पाठ्यक्रम और पुस्तकों का बोझ कम करने हेतु कुछ उपयोगी सुझाव दिये गये हैं। इन सुझावों के सरकार द्वारा मान लिये जाने से अब लाखों अबोध बच्चों को प्रवेश

परीक्षा के आतंक से मुक्ति मिलेगी और पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चों को गृह कार्य के बोझ तले दबे रहने से राहत भी मिल सकेगी। इस योजना के शीघ्र ही क्रियान्वित किए जाने की आशा है।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम' के विस्तार के फलस्वरूप हुई है। इस योजना को प्रारम्भ में निम्न प्राथमिक स्तर पर ही लागू किया गया था जिसे बढ़ाकर अब उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी लागू कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत देश के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में सभी मौसमों के लिए उपयुक्त कम से कम दो कमरों का भवन जिसमें बरामदा तथा लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय हों और आवश्यक शिक्षण सामग्री आदि उपलब्ध होनी चाहिए। अब प्रत्येक विद्यालय में तीन शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक महत्वपूर्ण 'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम' (डी.पी.ई.पी) को 1950 करोड़ रुपये की धनराशि से 1993 में प्रारम्भ किया था। इस कार्यक्रम को आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात् सन् 1997 तक 110 जिलों में लागू किया जाना है जिसमें से साक्षरता की दृष्टि से अधिक पिछड़े सात राज्यों के 42 जिलों में पिछले वर्ष में यह योजना आरम्भ की जा चुकी है। इसके आशातीत परिणाम सामने आये हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा घोषित स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन मुफ्त उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप विशेष रूप से गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के साथ संतुलित भोजन की व्यवस्था से शिक्षा के प्रति विशेष आकर्षण उत्पन्न हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि कई राज्यों में इसके आशातीत परिणाम भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यहां योजना लागू किये गये क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूलों में बच्चों की संख्या में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस योजना के अंतर्गत माह में कम से कम 20 दिन उपस्थित रहने वाले बच्चों को तीन किलोग्राम गेहूं अथवा चावल विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना तीन वर्षों में पूरे देश के सभी विद्यालयों में लागू कर दी जाएगी। केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना में प्रथम वर्ष में देश के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। इस वर्ष इस योजना पर 610 करोड़ रुपये व्यय किये जा रहे हैं। अगले वर्षों में यह राशि बढ़ाकर 2084 करोड़ रुपये कर दी जाएगी।

पूरे देश में चलाये गये सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। इस अभियान के कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए गत वर्ष 'अरुण घोष समिति' बनाई गई थी, जिसने इन कार्यक्रमों से वांछित लाभ प्राप्त करने हेतु राजनैतिक-इच्छाशक्ति को महत्वपूर्ण घटक माना और सबल राजनैतिक इच्छाशक्ति के साथ इन कार्यक्रमों को लागू करने पर बल दिया है।

शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाने, विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों के शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने तथा शिक्षण-प्रशिक्षण के स्तरों को बनाये रखने के उद्देश्य से देश में पहली बार 1994 में 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' के आधार पर एक 'राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद' की स्थापना की गई। अल्पसंख्यकों के क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिए क्षेत्र आधरित गहन कार्यक्रमों का संचालन भी किया गया है। लेकिन 21वीं शताब्दी में पदार्पण से पूर्व सम्पूर्ण साक्षरता के लाभ को प्राप्त करना उक्त सभी प्रयासों और उठाये गये सराहनीय कदमों के बावजूद सरकार और देशवासियों के लिए चुनौतियों से परिपूर्ण कार्य है। इस क्षेत्र में पहली चुनौती कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से संबंधित संस्थाओं, अधिकारियों तथा शिक्षकों की वास्तविक अर्थों में भागीदारी प्राप्त करना है। केवल इसे एक सरकारी कार्यक्रम मानकर वेतन अथवा पारिश्रमिक प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करने से सम्पूर्ण साक्षरता के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति सम्भव नहीं है। अतः इन कार्यक्रमों से जुड़े सभी कर्मियों में कर्तव्यपरायणता और प्रेरणा के साथ-साथ मिशनरी भावना भी उत्पन्न की जानी चाहिये। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु आवश्यक गहन प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था आवश्यक है।

सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में दूसरी प्रमुख चुनौती कार्यक्रमों हेतु वांछित पर्याप्त धनराशि

की व्यवस्था और उसकी समय से उपलब्धता है। विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रशासन, व्यवस्था, सामग्री अथवा पारिश्रमिक आदि के रूप में अत्यधिक धनराशि की आवश्यकता होती है। यद्यपि केन्द्र, राज्य और जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जाता है कि विभिन्न मदों हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था हो लेकिन विभिन्न कारणों से ऐसा सम्भव नहीं हो पा रहा है। बढ़े हुए खर्चों की पूर्ति हेतु बजट की अनुपलब्धता, बढ़ती हुई कीमतों के अनुपात में निर्धारित दरों में संशोधन हेतु लम्बी प्रक्रिया और उसके क्रियान्वयन में विलम्ब इसका एक प्रमुख कारण हो सकता है। लम्बी एवं जटिल प्रक्रिया और प्रशासनिक शिथिलता के कारण स्वीकृत धनराशि के समय पर उपलब्ध न हो पाने से भी कार्यक्रमों की सफलता प्रभावित होती है। अतः सफलता को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाओं आदि पर होने वाले आवश्यक खर्चों का सही-सही अनुमान लगाया जाये। मुद्रा स्फीति को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष उसमें वांछित बढ़ोत्तरी की व्यवस्था हो। वांछित धनराशि की स्वीकृति की प्रक्रिया सरल बनाई जाये। इसके साथ ही धनराशि को समय पर उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाना भी आवश्यक है।

इस क्षेत्र में तीसरी प्रमुख चुनौती निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु वास्तविक आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण से संबंधित है। सामान्यतया यह अनुभव किया गया है कि वास्तविकता के स्थान पर आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है और लाभार्थियों की वास्तविक प्रगति के स्थान पर उसे अतिश्योक्तिपूर्ण तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। कभी-कभी तो लाभार्थियों की संख्या भी ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं की जाती है। अतः लक्ष्य निर्धारित करने के साथ-साथ विभिन्न कार्यक्रमों के प्रत्येक स्तर पर अनुश्रवण और पर्यवेक्षण की समुचित व्यवस्था की जानी बहुत आवश्यक है। पर्यवेक्षकों और अधिकारियों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है कि निरीक्षण और अनुश्रवण में कमियों को इंगित करने पर उनका अधिक बल न रहे बल्कि सुधारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए समस्याओं और कठिनाइयों के निदान तथा उनके सुलझाने हेतु उपयोगी सुझाव देने पर उनका ध्यान केन्द्रित हो। प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की अधिक से अधिक सेवाएं प्राप्त करने से इस कार्य में मदद मिल सकती है।

कार्यक्रम की सफलता में बाधक चौथी प्रमुख चुनौती कार्यक्रम की स्वीकार्यता से संबंधित है। प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में विशेष रूप से ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि लाभार्थी कार्यक्रम को अधिक उपयोगी नहीं समझते और निर्धारित अवधि अथवा योग्यता प्राप्त किए बिना ही कार्यक्रम से अलग हो जाते हैं। इससे धन, समय और शक्ति का तो सदुपयोग हो ही नहीं पाता बल्कि कार्यक्रम को भी गहरा धक्का लगता है। इसके लिए आवश्यक है कि कार्यक्रमों को अधिक उपयोगी बनाया जाये। विभिन्न क्षेत्रों और समूहों के लाभार्थियों को आवश्यकता के अनुरूप जानकारी देने की व्यवस्था की जाये तथा कार्यक्रम को रोचक बनाने पर भी अधिक बल दिया जाये। पाठ्य सामग्री, विषय वस्तु तथा शिक्षण सामग्री का रुचिपूर्ण होना नितान्त आवश्यक है।

इनके अतिरिक्त सामुदायिक सहभागिता प्राप्त न किया जा सकना, विभिन्न स्तरों पर समन्वय का अभाव, अपर्याप्त राजनैतिक तथा प्रशासकीय प्रतिबद्धता जैसी अन्य चुनौतियां भी सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्यों की पूर्ति में बाधक रही हैं, लेकिन उपलब्ध परिणामों को निराशाजनक भी नहीं कहा जा सकता। वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं का समय-समय पर आकलन तथा उनके निराकरण हेतु प्रत्येक स्तर पर की जा रही कार्यवाही तथा उठाये गये कदमों के आधार पर कहा जा सकता है कि इक्कीसवीं सदी में पहुंचने से पूर्व ही सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य जो 'दिल्ली घोषणा' के माध्यम से हमने निर्धारित किया है, उसके लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और अनेक संगठनों द्वारा किए जा रहे संगठित प्रयासों के परिणाम अवश्य ही हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप होंगे। इस घोषणा के संबंध में हमने जो भी निर्णय लिए हैं, योजनाएं और कार्यक्रम प्रारम्भ किए हैं उनके परिणाम कुछ समय बाद ही सामने आएंगे और जिस जोश और उत्साह के साथ कार्यक्रमों को पारिचालित किया गया है यदि उसी गति से इन्हें चलाया जाता रहा, दृढ़ राजनैतिक इच्छा और स्थानीय लोगों की भागीदारी पर्याप्त रूप से उपलब्ध होती रही तो निश्चित रूप से हम शत प्रतिशत साक्षर लोगों के साथ इक्कीसवीं सदी में कदम रखने में सफल होंगे। □

आम के एक ही पेड़ में 275 किस्म के आम

✍ जगदीश प्रसाद साहनी

वर्ष 1995 आम उत्पादन के मामले में काफी चर्चित रहा। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश में मलीहाबाद की अब्दुल्ला नर्सरी के मालिक कलीम उल्लाह खां ने जो नई खोज आम उत्पादन व प्रजातियों के समावेश पर दी, वह काफी महत्वपूर्ण है। इस खोज पर देश के आम वैज्ञानिकों का ध्यान उस समय गया जब दूरदर्शन ने 'परख' कार्यक्रम में आम के अजूबा पेड़ की चर्चा की।

आम के एक ही वृक्ष में 201 किस्म की प्रजातियां तैयार करने में आपको कितना समय लगा होगा। इस प्रश्न के उत्तर में कलीम उल्लाह खां ने कहा कि यह बात तो आठ साल पुरानी है। इस वर्ष तो मैं इसी वृक्ष में 275 किस्मों के आम उत्पादित कर औधानिक क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करना चाहतो हूं। उन्होंने कहा कि मैंने वह तकनीक भी खोज ली है जिससे कि एक ही साल में आम की तीन फसलें ली जा सकती हैं। जिस आम के वृक्ष में 201 किस्म के आम के उत्पादन की चर्चा हुई थी उस वृक्ष पर उस समय लगे आम की किस्में थीं हुस्नआरा, गोल बदैंया, बदैंया द्वारिका दास, सीपिया, जाफरान बहराइच, बाम्बे ग्रीन, आमिन अब्दुल हक, असलुर मुकर्रर, आमिन गूदड़शाह, आम्रपाली तथा अनुपाल।

उक्त वृक्ष की जिस टहनी में रामकेला प्रजाति का आम लगा था उसके पास की टहनी में बौर निकल रहा था और आम के टिकोरे (छोटेफल) बैठ रहे थे। जिस टहनी में यह आम के टिकोरे लगे थे वह प्रजाति सेह फसली मुर्शिदाबाद की थी, जिसकी साल में तीन फसलें फलती हैं।

कलीम उल्लाह खां ने बताया कि उनका यह पेशा खानदानी है। उनके पूर्वजों ने अब्दुला नर्सरी कायम की और दशहरी की नई प्रजाति 'अब्दुल्ला ग्रेट' बनाई जिसे काफी लोकप्रियता मिली और आल इंडिया आम प्रदर्शनी में 'अब्दुल्ला ग्रेट' को प्रथम स्थान मिला था। एक ही वृक्ष में आम की अनेक प्रजातियां देखने के लिए जापान के इन्टर नेशनल फार्मिंग सेन्टर के चेयरमैन प्रोफेसर थेरी योहिगा तथा इफेक्टिव माइक्रो आग्रेनिज्म नई दिल्ली के निदेशक श्री मित्सुरूमाशुनाशा मलीहाबाद गए। लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश फल अनुसंधान के उद्यान विशेषज्ञ डा० संजीव कुमार, औधानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र के मुख्य उद्यान विशेषज्ञ रमाशंकर मिश्र ने भी उक्त वृक्ष पर किये गये तथ्यपरक शोध को देखा। इस वृक्ष के संदर्भ में प्रसिद्ध उपन्यासकार माईल मलीहाबादी का कहना है कि जिस आम के पेड़ की टहनियों में कलम बांध कर यह अनुसंधान किया गया है वह 60-65 साल पुराना असलुर-मुकर्रर आम की प्रजाति का वृक्ष है। इसकी शाखायें ऊपर से काट दी गई और निकले हुए नये कल्लों में कलम बांधकर इतनी प्रजातियां एक ही वृक्ष में उत्पादित करना एक नया प्रयास है। कलीम उल्लाह खां ने आम की प्रजातियों का जो गुलदस्ता बनाया है उसके लिए वह सराहना के पात्र हैं।

कलीम उल्लाह खां का कहना है कि आम प्रकरण पर उनके द्वारा किया गया शोध कार्य नया है। सेब पर यह प्रयोग सत्रहवीं सदी में शुरू हो गया, लेकिन आम के एक ही पेड़ में बहुप्रजाति समाहित करने का मामला नया है, इससे इसका उल्लेख गिनीज बुक में होना चाहिए। वह अपनी इस तकनीक को भारत के हर क्षेत्र में पहुंचाना चाहते हैं ताकि इस शोध का लाभ भारतवासियों को मिल सके।

पत्रकार,
साहनी निकेतन,
मलीहाबाद (लखनऊ)

ग्रामीण विकास के लिये अक्षय ऊर्जा स्रोत

✍ मयंक अग्रवाल

देश के संतुलित विकास के लिये आवश्यक है कि शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऊर्जा की आपूर्ति बढ़ती हुई मांग के अनुरूप की जाए। देश की लगभग तीन चौथाई आबादी गांवों में रहती है लेकिन उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली व्यावसायिक ऊर्जा जिसमें बिजली, पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला शामिल है, की कुल खपत की एक चौथाई से भी कम है। अपनी जरूरत के लिए गांव के लोग अभी भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा के परंपरागत साधनों जैसे कि लकड़ी, गोबर आदि का इस्तेमाल करते हैं। ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय योजना व्यय में निरंतर वृद्धि के बावजूद मांग और आपूर्ति में प्रतिवर्ष अंतराल बढ़ रहा है और इससे सबसे अधिक प्रभावित हैं ग्रामीण इलाके। इस विषमता को दूर करने के लिये आवश्यक है कि गांवों की आधारभूत ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय तौर पर उपलब्ध गैर परम्परागत स्रोतों से पूरी की जाए। इन स्रोतों के समुचित दोहन के लिये सरकार की तरफ से अनेक कार्यक्रम शुरू किये गये हैं जिनमें प्रमुख हैं:-

1. ग्रामीण क्षेत्रों की खाना पकाने की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये चलाये जा रहे बायोगैस, उन्नत चूल्हे, बायोमास उत्पादन और उपयोग कार्यक्रम और ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम।
2. गांवों में रोशनी, सिंचाई और पीने के पानी को जमीन में से खींचने के लिए पवन पम्पों, सौर प्रकाश वोल्टीय अनुप्रयोगों, सौर तापीय ऊर्जा प्रणालियों और बायोमास गैसीकरण प्रणालियों का विकास।
3. भारवाही पशुशक्ति के कुशल प्रयोग के लिये पशु ऊर्जा कार्यक्रम।

बायोगैस

ग्रामीण घरेलू ऊर्जा की 84 प्रतिशत मांग खाना पकाने के उद्देश्यों के लिए होती है। इसके लिए उपले और जलावन लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। बायोगैस खाना पकाने के लिए ऊर्जा का एक प्रमुख वैकल्पिक स्रोत है। बायोगैस संयंत्रों से कार्बनिक खाद के उत्पादन के रूप में एक अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त खाद में आक्सीजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। जहां रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग से एक सीमा के बाद भूमि की उत्पादन क्षमता में कमी होती पायी गयी है, कार्बनिक खादें मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को लगातार बनाये रखती हैं।

खाना पकाने में बायोगैस को प्रोत्साहित करने के लिए 1981-82 में सरकार ने राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना शुरू की। इस योजना के तहत लगभग 20 लाख बायोगैस संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। इससे करीब 64 लाख टन जलावन लकड़ी की प्रतिवर्ष बचत हो रही है। सरकार बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिये संयंत्र के मूल्य के 25 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दे रही है। क्षेत्रीय और सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिये दूर दराज के इलाकों और कमजोर वर्गों के लिये अधिक सहायता निर्धारित की गयी है।

परिवार आकार के संयंत्रों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ सरकार ने बड़े आकार के संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिये 1982-83 में सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम ऐसे स्थानों पर चलाया जा रहा है जहां बड़ी मात्रा में गोबर उपलब्ध है। इन संयंत्रों को शौचालय परिसरों से जोड़ देने से मानव मल के निबटान में भी बहुत सहायता मिली है। अब तक 1,150 से अधिक ऐसे संयंत्र खाना पकाने, बिजली देने, पीने के पानी और सिंचाई तथा अन्य यांत्रिक कार्यों के लिए इंजनों को चलाने के लिए गैस की आपूर्ति कर रहे हैं।

रख-रखाव संबंधी सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था न होने और अपर्याप्त संसाधन बायोगैस कार्यक्रमों के विस्तार में प्रमुख बाधाएं हैं। अतः इस क्षेत्र में यथोचित प्रोत्साहन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है। 17 क्षेत्रीय बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना इस दिशा में सही कदम है। बायोगैस कार्यक्रमों को अधिक सफल बनाने के लिए और इनके विस्तार के लिए स्थानीय लोगों की और भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम

ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के संरक्षण के लिये सरकार ने 1993 में राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के स्थिर और सफरी माडल के चूल्हे बनाये गये हैं। स्थिर माडल के चूल्हे स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से घरों में ही बनाये जाते हैं जबकि सफरी चूल्हों का निर्माण उद्योगों द्वारा किया जाता है। जहां परम्परागत चूल्हों की तापीय कुशलता लगभग 5 प्रतिशत है, इन चूल्हों की कुशलता 20 से 25 प्रतिशत तक होती है। अतः इन चूल्हों पर खाना बनाने में कम समय लगता है। उन्नत चूल्हों में लगी चिमनी से धुएं की निकासी के लिए भी रास्ता मिल जाता है। इसके धुएं के कारण होने वाले हानिकारक प्रभावों का खतरा भी घट जाता है।

बायोमास कार्यक्रम

बायोमास के अन्तर्गत मुख्य तौर पर जलावन लकड़ी की विभिन्न प्रजातियां और कृषि अवशिष्ट आते हैं। एक अनुमान के अनुसार बायोमास के समुचित दोहन से लगभग 17,000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन संभव है।

पारंपरिक तौर से हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग खाना पकाने के लिये बायोमास पर निर्भर करते हैं। जरूरत है इसके कुशल प्रयोग की। इस जरूरत को दृष्टि में रखते हुए बायोमास कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य बायोमास उत्पादकता को बढ़ाना और इसके रूपांतरण और उपयोग के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। सरकार इसके लिए अनुसंधान और विकास कार्यों को प्रोत्साहन दे रही है। अलग-अलग प्रकार की मिट्टी और मौसमी दशाओं के अनुकूल तेजी से बढ़ने वाली जलावन लकड़ी की वृक्ष प्रजातियों पर विभिन्न बायोमास अनुसंधान केंद्रों में परीक्षण किये गये हैं और जहां वनों में सामान्य तौर पर प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर 0.5 टन बायोमास उत्पादन होता है, अनुसंधानों से यह उत्पादकता 30-35 टन प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की गयी है। अधिक उत्पादन क्षमता वाले बीज और पौध सामग्रियों को किसानों और उपभोक्ता संगठनों में लोकप्रिय बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। बंजर और बेकार पड़ी भूमि का एक बड़ा हिस्सा बायोमास उत्पादन के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है।

बायोमास गैसीकरण कार्यक्रम

बायोमास को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ज्वलनशील गैस में बदला जा सकता है। इस प्रकार उत्पादित गैस को या तो सीधे ही तापीय अनुप्रयोगों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है या जेनरेटर सेटों के माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। इस क्षेत्र में उपलब्धियों के तौर पर 3.7 किलोवाट से 100 किलोवाट तक क्षमता वाले गैसीफायर विकसित किये जा चुके हैं। बायोमास गैसीफायर द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों में विद्युतीकरण की व्यापक संभावनाएं हैं। अब तक स्थापित गैसीकरण संयंत्रों की कुल क्षमता 14 मेगावाट है। बायोमास गैसीफायर को लोकप्रिय बनाने के लिये 1993-94 में सरकार द्वारा शुरू किया गया बाजारोन्मुखी गैसीफायर प्रदर्शन कार्यक्रम एक सहारनीय कदम है।

सौर ऊर्जा

हमारे देश में सौर ऊर्जा सब जगह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ऊर्जा का स्वच्छ गैर पारंपरिक स्रोत है। इसे खाना पकाने और विद्युत उत्पादन दोनों उपयोगों में लाया जा सकता है। सौर प्रकाशवोल्टीय पद्धति के विकास से सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने में सफलता मिली है। इससे सड़कों और घरों में रोशनी और जल पम्पन प्रणालियां चालू की जा सकती हैं। सौर सेलों और माड्यूलों के उत्पादन के लिए देश में औद्योगिक आधार तैयार किया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर 112 छोटे सौर फोटो वोल्टीय विद्युत संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। सौर लालटेनों को प्रोत्साहन देने के लिये 1994-95 में एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया है। दूर-दराज के क्षेत्रों में इसके लिये आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।

सरकार द्वारा बनाये जा रहे सौर प्रकाश वोल्टीय कार्यक्रम को बाजारोन्मुख बनाने के लिये भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (इरेडा) के माध्यम से पम्पन प्रणालियों और अन्य प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की खरीद के लिए उदार शर्तों पर ऋण भी दिया रहा है।

सौर प्रकाश वोल्टीय कार्यक्रम के रास्ते की प्रमुख बाधा प्रणालियों की उच्च आरंभिक लागत है। अभी इस दिशा में बहुत अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है ताकि सौर ऊर्जा पारंपरिक स्रोतों जैसे डीजल, कोयला आदि से मिलने वाली ऊर्जा की तुलना में सस्ती हो सके। यदि देश में उपलब्ध 5×10^3 मेगावाट घंटा/वर्ष सौर ऊर्जा का उचित दोहन किया जा सके तो ऊर्जा समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है।

पवन ऊर्जा

वायु के वेग से प्राप्त ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा से टरबाइनें चलाकर विद्युत पैदा ही सकती है। देश में करीब 20,000 मेगावाट पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता है। सरकार ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में पवन ऊर्जा रूपांतरण प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है। इन्हें विद्युत आपूर्ति और पानी के पम्प चलाने जैसे कार्यों के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार पवन से बड़े पैमाने पर विद्युत के उत्पादन की योजना बना रही है। निजी क्षेत्र ने भी इसमें गहरी रुचि दिखाई है। अब तक 122 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं।

ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम

सातवीं योजना के दौरान ऊर्जा ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके तहत कुछ गांवों की अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति अक्षय ऊर्जा प्रणालियों से करने के लिए डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से आर्थिक आय और ग्राम स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। परियोजनाओं को प्रारंभिक तीन वर्षों की अवधि के लिये राज्य की प्रमुख एजेंसियों द्वारा संचालित किया जाता है और बाद में पर्याप्त प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें ग्राम पंचायतों या अन्य जिम्मेदार संस्थाओं को सौंप दिया जाता है।

इसके अलावा सरकार ने विभिन्न उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों के समुचित दोहन के लिये खंड स्तर पर समन्वित ग्रामीण ऊर्जा परियोजनाएं भी प्रारंभ की हैं। अब तक 550 से अधिक ब्लाकों में ये परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। सौर कुकर, बायोगैस संयंत्र, उन्नत चूल्हों और सौर तथा पवन ऊर्जा आधारित पंप प्रणालियों के काम के प्रदर्शन के लिये इन खंडों में परियोजना प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं। कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

सरकार द्वारा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयास निश्चय ही सराहनीय हैं, पर इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इन कार्यक्रमों की गति बढ़ाने और इनके विकेन्द्रीकरण के लिये बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संगठनों को इनमें शामिल करना आवश्यक है। कार्यक्रमों को बाजारोन्मुख बनाने और व्यावसायिक स्तर पर सफल बनाने के लिए निजी क्षेत्र को भी इस ओर अधिक से अधिक आकर्षित किया जाना चाहिये। इससे एक अतिरिक्त लाभ यह होगा कि निजी क्षेत्र भी अनुसंधान और विकास में पूंजी लगायेगा। आशा है कि इससे भविष्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों की लागत कम करने में सफलता मिलेगी और कमजोर वर्ग इन्हें अपना सकेगा। देश में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना से भी इन कार्यक्रमों के विस्तार और सुचारु क्रियान्वयन की नई संभावनाएं पैदा हुई है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों के विकास और रख-रखाव में पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। रख-रखाव के लिए बड़े पैमाने पर ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता हैं। इससे जहां बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं इन कार्यक्रमों का आधार भी व्यापक होगा।

सी-1/35, जनकपुरी,
नई दिल्ली - 1100058

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आगमन

ग्रामीण विकास का एक विकल्प

प्रीति खन्ना

मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ आर्थिक विकास का क्षेत्र भी व्यापक रूप लेता गया। समय के साथ-साथ आर्थिक विचारधारा के प्रारम्भिक चरणों में लेसेज फेयर की नीति का वर्चस्व था, जिसके अनुसार राज्य का कार्य केवल न्याय प्रशासन तथा आंतरिक व बाह्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना होता था, आर्थिक व व्यापारिक गतिविधियों का संचालन पूर्णतः निजी क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं चल पाई। 1929-30 में विश्व की महान आर्थिक मंदी के बाद आर्थिक जगत में सरकारी हस्तक्षेप व नियंत्रित नीतियों पर विशेष जोर दिया जाने लगा जिसके प्रबल समर्थक कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री प्रो. जे. एम. कीन्स थे। अतः मंदी के पश्चात् सरकार का दायित्व न्याय, कानून, सुरक्षा से बढ़कर आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश को लेकर विस्तृत हो गया।

मंदी के पश्चात् प्रत्येक देश की सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। ऐसे में अर्थव्यवस्था पर निजी क्षेत्र की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का शिकंजा कसता गया। दुर्भाग्य से 1939 में द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् अधिकांश देशों ने अपने छोटे-छोटे आर्थिक समुदाय गठित कर लिये। इसका मुख्य उद्देश्य बाहरी देशों के साथ व्यापारिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। यद्यपि इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए विश्व मंच पर गैट, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वित्त निगम जैसी संस्थाओं का उदय हुआ, किंतु कोई आशाजनक परिणाम नजर नहीं आये। कालांतर में चलकर विभिन्न राष्ट्रों की सरकारों के द्वारा इस बात को महसूस किया जाने लगा कि वर्तमान युग में विकास के लिए अर्थव्यवस्था का मुंह बन्द रखने की बजाय खुला रखना आवश्यक है। आज स्थिति यह है कि कोई भी राष्ट्र दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संपर्क स्थापित किए बगैर विकास की कल्पना तक नहीं कर सकता है। इसी संदर्भ में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आविर्भाव हुआ।

बहुराष्ट्रीय कम्पनी से आशय उस कंम्पनी से है जिसकी शाखायें विश्व के विभिन्न देशों में होती हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपरिहार्य क्यों

सृष्टि में कोई भी सर्वसम्पन्न नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक को सहयोग की आवश्यकता होती है परन्तु समय व साधन दोनों सीमित हैं। इसलिए हम विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं और कई व्यक्ति हमारे सहयोग से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

विभिन्न देशों की भौगोलिक परिस्थितियां, ऋतुएं, प्राकृतिक संपदा, देश के नागरिकों की विचारधाराएं, देश का सामाजिक वातावरण, देश की जनसंख्या आदि बातें देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं।

इन प्राकृतिक विभिन्नताओं के कारण विभिन्न देशों को एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के चार दशक पूरे हो जाने के उपरान्त भी देश के सम्मुख जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, निर्धनता और आवश्यक सुविधाओं का अभाव आदि अनेक समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं।

ऐसी स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक माना गया है कि देश में नवीन परिवर्तन किये जायें। फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में 90 के पूर्वार्ध में उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। देश के उत्पादन के साधनों के उचित नियोजन और देश की श्रम शक्ति के प्रयोग के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उद्योग स्थापित करने के लिए निमंत्रण देना एक आवश्यक कदम माना गया।

ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था में असंतुलन

भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक असंतुलन

देखने को मिलता है। शहरी क्षेत्रों जितना पूंजी निवेश हुआ है उसका 20 प्रतिशत भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई एकड़ भूमि बेकार पड़ी है जिसकी कोई उत्पादकता नहीं है। बढ़ते शहरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व काफी कम हो रहा है। ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था में असंतुलन का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज जहां शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता और विलास की विभिन्न वस्तुएं उपलब्ध हैं वहीं गांवों में दिन-रात जी-तोड़ मेहनत करने के पश्चात् ग्रामीणों को दो वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब हो पाती है। देश के सीमांत किसानों व कृषि मजदूरों की हालत दयनीय है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में विकास के नाम पर इतना अधिक निवेश किया गया है कि शहर का व्यक्ति न्यूयार्क में किसी व्यक्ति से दस मिनट में सम्पर्क कर सकता है जबकि गांव में उसे किसी से सम्पर्क करना हो तो कई दिन लगेंगे। इसी प्रकार शहर आज इक्कीसवीं सदी में जाने के लिए जोर-शोर से तैयारी कर रहा है किन्तु तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि गांव के कई लोग आज भी हवाई जहाज को 'चील गाड़ी' कह कर पुकारते हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन क्यों?

ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था के मध्य असंतुलन को कम करने के उपायों पर विचार करने से पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारणों को जानना आवश्यक है। असंतुलन का मुख्य कारण देश की नीतियों के उचित क्रियान्वयन का अभाव है अर्थात् योजनाओं का लाभ गांवों तक नहीं पहुंचा। ग्रामीण क्षेत्रों तक इन योजनाओं का लाभ न पहुंचने का एक कारण पूंजी का अभाव था। पूंजी के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है। उद्योग स्थापना के लिए पानी, बिजली, सड़कें जैसी आधारभूत सुविधाएं आवश्यक होती हैं। उद्योग स्थापना का स्थान चुनते समय उद्योगपति इन सुविधाओं को ध्यान में रखता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने में उन्हें भारी मात्रा में पूंजी लगानी पड़ती है। अतः उत्पादन लागत अधिक आने की आशंका से वे शहरी क्षेत्रों में उद्योग लगाना लाभकारी समझते हैं। इसी कारण शहरी क्षेत्रों में औद्योगीकरण अधिक हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा हुई है।

सरकार द्वारा उदारीकरण की नीति का अनुसरण किये जाने से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उजाले की किरण दिखाई देती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने पर उन क्षेत्रों का विकास भी संभव हो जायेगा।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन के प्रभाव

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भारी मात्रा में पूंजी की मात्रा की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आगमन एक अच्छा कदम है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पास धन की कमी नहीं है। उनके आने से देश के पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित होने से वे क्षेत्र भी प्रगति कर पायेंगे। उधर उन कम्पनियों को उद्योग स्थापित करने के लिए सस्ता और विशाल क्षेत्र मिल सकेगा और सस्ती दरों पर श्रम-साधन भी उपलब्ध हो सकेंगे।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन से ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं में विकास हो पायेगा। ज्यादातर देखा गया है कि भारतीय ग्रामीण पूंजी निवेश की अपेक्षा पोटली में गांठ बांध कर रखना अधिक पसन्द करता है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का प्रयोग ग्रामीण क्षेत्र में खुलने वाली कम्पनी करेगी तो ग्रामीणों का बैंकों के प्रति विश्वास बढ़ेगा। वे भी बैंकों में पूंजी रखकर उत्पादक कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे सकेंगे। इसके साथ-साथ ग्रामीणों को ब्याज भी मिलेगा अर्थात् धन सुरक्षा के साथ-साथ उन्हें लाभांश अलग प्राप्त होगा। ग्रामीणों की विचारधारा में परिवर्तन आयेगा, सुशिक्षित लोगों के सम्पर्क में आने पर वे भाग्यवादिता की अपेक्षा कर्मवादिता में विश्वास करेंगे। उनके सोचने विचारने के ढंग में परिवर्तन आयेगा। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन से देश का चहुंमुखी विकास होगा। शायद ही कोई क्षेत्र विकास से अछूता रहे। अतः ग्रामीण विकास की संभावनाएं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगमन से बढ़ गई हैं।

107, अशोक विहार विस्तार,
गोपालपुरा बाई पास,
किसान मार्ग, जयपुर (राज.)-302018

बेरोजगारी राष्ट्र का सबसे बड़ा दैत्य

✍डा० धीरेन्द्र कुमार सिंह

आज विश्व के कई देशों में बेरोजगारी की गंभीर समस्या बनी हुई है। गरीब विकासशील देशों में ही नहीं, बल्कि फ्रांस और जर्मनी जैसे समृद्ध देशों में भी बेरोजगारी प्रचुर मात्रा में है जो सामाजिक और राजनीतिक हिंसा का कारण है। भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। कई बार डकैतियों, छीना झपटी, लूट-खसोट, अपहरण और हत्या के हृदयद्रावी समाचार सुनाई पड़ते हैं। उधर आम आदमी को अपने और अपने परिवार की रोटी की चिन्ता है। आज चाहे फावड़ा और कुदाल चलाने वाले श्रमिक हों या अनवरत बौद्धिक श्रम करने वाले शिक्षित युवा, सभी बेकारी और बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं।

बेरोजगारी का लोमहर्षक उदाहरण तो उस समय दिखाई पड़ा, जबकि रुड़की इंजीनियरिंग कालेज में पूर्ण प्रशिक्षित इंजीनियरों को उपाधि प्रदान करने 1967 के दीक्षांत समारोह में भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे ही भाषण देने खड़ी हुई तभी लगभग 100 इंजीनियर प्रशिक्षणार्थियों ने खड़े होकर कहा "हमें भाषण नहीं नौकरी चाहिए।" प्रधानमंत्री के पास इसका क्या उत्तर हो सकता था? इतने बड़े विकासोन्मुख देश में बेकारी की यह भीषण समस्या एक लज्जाजनक बात है। ऐसी बात नहीं है कि यह समस्या आज की है बल्कि बहुत दिनों से चली आ रही है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व भी बेरोजगारी की समस्या विद्यमान थी।

प्रकार

भारत में बेरोजगारों की मुख्यतः दो श्रेणियां हैं—शिक्षित बेरोजगार तथा अशिक्षित बेरोजगार। शिक्षित बेरोजगार तो स्पष्ट हैं कि पढ़े-लिखे डिग्रीधारी लोग माने जाते हैं। दूसरी श्रेणी में अनपढ़ लेकिन काम करने के इच्छुक व्यक्ति आते हैं। इस तरह की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में ही ज्यादा होती है। देश में कृषि पर अभी भी 20 करोड़ कृषि श्रमिकों की आजीविका निर्भर करती है।

बेरोजगारों की स्थिति एवं दुर्दशा

आज देश के रोजगार कार्यालयों में दर्ज मैट्रिक तक पढ़े-लिखे लोगों की संख्या करीब एक करोड़ 25 लाख, स्नातक से कम पढ़ लिखे दर्ज नामों की संख्या करीब 50 लाख और स्नातक से ऊपर तक पढ़े लिखे दर्ज नामों की संख्या करीब 35 लाख है। देश में अभी करीब 8 हजार माध्यमिक स्कूल, 5 हजार कालेज, 180 विश्वविद्यालय तथा करीब 25,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें हैं। इन संस्थानों द्वारा तैयार किये गए छात्रों व प्रशिक्षुओं के लिए समुचित रोजगार मुहैया कराना एक टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। भारत के साथ एक दुखद पहलू यह है कि यहां निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर काफी कम होते हैं। अभी देश के संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों में 185 लाख कर्मचारी केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं अर्द्ध सरकारी संगठनों में कार्यरत हैं जबकि इसके विपरीत निजी क्षेत्र में कर्मचारियों की संख्या मात्र 24 लाख है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में निजी क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि की वार्षिक दर पहले से बढ़ी है, फिर भी यह काफी नहीं है। अतः कुल मिलाकर देश में रोजगार सृजन की स्थिति उत्साहवर्धक नहीं है। हमारे देश में अभी बेरोजगारी की वार्षिक दर 2.08 प्रतिशत है जबकि रोजगार की वृद्धि दर मात्र 1.2 प्रतिशत है।

देश के विभिन्न भागों में स्थापित रोजगार कार्यालयों का कार्य बेरोजगारों के पंजीयन के बाद उन्हें उपयुक्त रोजगार भी उपलब्ध कराना है, पर ये कार्यालय अपने दायित्व का निर्वाह करने में सक्षम साबित नहीं हुए हैं। इस समय देश में कुल 855 रोजगार कार्यालय हैं। इनमें पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या तीन करोड़ 70 लाख है। इसमें प्रतिवर्ष करीब 60-70 लाख बेरोजगार लोग अपना नाम दर्ज कराते हैं, इनमें बड़ी मुश्किल से एक से डेढ़ लाख लोगों

*अर्थशास्त्र विभाग, शेरशाह महाविद्यालय, सासाराम, बिहार पिन-821115

के लिए रोजगार कार्यालय रोजगार मुहैया करा पाते हैं।

आजादी के 48 साल गुजरने के बाद भी बेरोजगारी का वर्चस्व बना हुआ है। प्रतिवर्ष बेरोजगारी घटने के बजाय बढ़ती ही चली जा रही है। सरकार द्वारा बेरोजगारी उन्मूलन के अनेक प्रयास किये गये हैं। बेरोजगारी दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में शुरू से ही प्रयास किए गए। पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए आर्थिक विकास के सामान्य कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। लेकिन चौथी योजना के प्रारम्भ से इस संबंध में विशेष कदम उठाए गए। पहली योजना में लगभग 300 करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई तथा योजना की अवधि में लगभग 54 लाख लोगों को रोजगार मिला, जिसमें 65 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्र के थे। द्वितीय योजना में भी रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के फलस्वरूप 80 लाख लोगों को रोजगार मिला, जिनमें 65 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्र के थे। तीसरी योजना में पहले की तुलना में रोजगार के प्रभावों या लाभों को अधिक व्यापक रूप में वितरित करना, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा मानवशक्ति का प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करने के उद्देश्य से मुख्य प्रयास किए गए। इस योजना काल में लगभग डेढ़ करोड़ लोगों को रोजगार दिलाया गया। चौथी योजना में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए श्रम-प्रधान कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया। पांचवीं योजना में बेरोजगारी कम करने के लिए उत्पादक रोजगार के अवसरों तथा स्व-रोजगार में वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया। छठी योजना में ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में व्यापक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सातवीं योजना में भी निर्धनता के उन्मूलन तथा रोजगार के अवसरों में व्यापक वृद्धि को योजना के प्रधान लक्ष्यों में सम्मिलित किया गया। आठवीं योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी मिटाना है। इसलिए इस योजना में ग्रामीण विकास के लिए 30 हजार करोड़ रुपये रखे गए थे, उसे नवीं योजना में तीन गुना बढ़ाकर 90 हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

केन्द्र सरकार द्वारा बेरोजगारी निवारण के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जैसे– जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, सूखाग्रस्त कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम आदि। इसके अलावा अब समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत एक नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले आठवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त ग्रामीण युवाओं को अपना काम धंधा शुरू करने के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी के रूप में उन्हें अधिकतम 7,500 रुपये दिये जाएंगे।

सरकार की उदारीकरण नीति का उद्देश्य निजी उद्योगों को अधिक पूंजी निवेश और विदेशी कम्पनियों को देश में उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए बढ़ावा देना है। आशा है कि इससे निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बेरोजगारी कम करने में कुछ मदद मिलेगी।

मूल्यांकन

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बेरोजगारी भारत के लिए वास्तव में एक गंभीर समस्या है। निर्धनता का मूल कारण भी बेरोजगारी ही है। हालांकि सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए, इन कार्यक्रमों में भारी धनराशि भी व्यय की गई और भविष्य में भी व्यय करने की योजना है लेकिन अब तक बेरोजगारी दूर करने में ज्यादा सफलता नहीं मिली है। बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खासकर शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्थिति यह है कि उनके लिए खोमचा लगाना या मजदूरी करना कठिन होता है। वे सोचते हैं कि दुन्निया कहेगी कि पढ़-लिखकर मजदूरी कर रहा है। इस मिथ्या दम्भ से उनके लिए भूखों मरने की नौबत आ जाती है।

दुर्भाग्य से हमारे देश में स्थिति यह है कि अधिसंख्य बेरोजगार इस इंतजार में हैं कि उन्हें कोई भी काम मिल जाए। सरकार यदि लघु और कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दे तो रोजगार सृजन की अधिक संभावनाएं होंगी तथा अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। अतः आज आवश्यकता है गांवों के उन तमाम युवकों को बेरोजगारी के गर्त से निकालने की जो युवक बेरोजगारी के कारण अपना गांव और घर छोड़कर महानगरों की अंधेरी गलियों में भटकने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें गांवों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिए। तभी देश नयी शताब्दी में गर्व से कदम रख सकेगा। □

ग्रामीण विकास में बाधक : बढ़ती जनसंख्या

राम जन्म गुप्ता

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को जनसंख्या वृद्धि ने अत्यधिक प्रभावित किया है। कृषि, पशुपालन तथा लघु उद्योग, इन सब पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या से ग्रामीण विकास के सभी प्रयासों की सफलता में बाधा खड़ी हुई है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत लागू होता है जिसके अनुसार जनसंख्या में वृद्धि का अभिशाप सबको भुगतना पड़ेगा। चीन के बाद भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत में विश्व की जनसंख्या का 16 प्रतिशत निवास करता है। भारत की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या पांच लाख गांवों में रहती है जो मुख्य रूप से कृषि पर आश्रित है। देश की कुल भूमि के लगभग 43.5 प्रतिशत भू-भाग पर कृषि होती है तथा देश के कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि की सहभागिता लगभग 45 प्रतिशत है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने से स्थिति विषम होती जा रही है। कुल उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में बारहवें स्थान पर है। विश्व बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भारत का विश्व में 106वां स्थान है।

जनसंख्या वृद्धि के कारण

वर्तमान में भारत की जनसंख्या की वृद्धि की दर लगभग 2.14 प्रतिशत वार्षिक है जिसके कारण एक वर्ष में 1.7 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :

1. बाल विवाह : हमारे देश में बाल विवाह की कुप्रथा प्राचीन समय में सुरक्षा की दृष्टि से प्रारम्भ हुई थी परन्तु अब इसकी आवश्यकता नहीं है। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के की शादी अपराध है। किन्तु आज भी ग्रामीण अंचलों में इस कानून की अवहेलना करके बाल-विवाह की कुप्रथा जारी है। लड़की की शादी 18 वर्ष के स्थान पर 13-14 वर्ष की आयु में कर दी जाती है जिसके फलस्वरूप जल्दी-जल्दी सन्तानोत्पत्ति होती है। अतः जब लड़की की शादी होनी चाहिए, तब तक वह चार सन्तानों की मां बन जाती है। इससे जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार तेज होती है। भारत में 52 प्रतिशत विवाह अल्पायु में हो जाते हैं।

2. निरक्षरता : व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के विकास में निरक्षरता सबसे बड़ी बाधा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी व्यापक निरक्षरता है। निरक्षर व्यक्ति बच्चों को ईश्वर की देन मानते हैं। सन् 1991 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता मात्र 39.4 प्रतिशत और पुरुषों में साक्षरता 63.9 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता और भी कम है। महिला साक्षरता का स्तर ऊंचा होने से जन्म-दर में कमी होती है।

3. मनोरंजन के साधनों का अभाव : ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तथा अधिकांश ग्रामीण जनता निर्धनता के कारण मनोरंजन के विषय में सोच ही नहीं पाती है। मनोरंजन के स्थान पर पति-पत्नी के सम्बन्धों से सन्तानों की संख्या बढ़ती है।

4. रूढ़ियां और अन्धविश्वास : आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग महिलाओं द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है कि "दूधो नहाओ, पूतो फलो'। लेकिन यह आशीर्वाद आज अभिशाप प्रतीत हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक उदाहरण मिलते हैं कि संतान की प्राप्ति में कुछ विलम्ब हो जाने पर अनेक प्रकार के टोने-टोटके और धार्मिक अनुष्ठानों का सहारा लिया जाता है।

परिवारिक कल्याण उपायों की उपेक्षा : छोटे परिवार की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रमों का अत्यधिक प्रचार-प्रसार किया। छोटा परिवार रखने के लिए सरकार ने आर्थिक प्रोत्साहन और अनेक साधन भी प्रदान किये। गांव-गांव में भी परिवार नियोजन के साधनों को मुहैया कराने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के उपाय ज्यादा लोकप्रिय नहीं

हो सके हैं। इस कारण जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी नहीं हो सकी है।

जनसंख्या-वृद्धि के दुष्परिणाम

जनसंख्या-वृद्धि ही सभी समस्याओं की जननी है। जितना बड़ा परिवार होगा उतनी ज्यादा समस्याएं भी बढ़ेंगी। ये समस्याएं निम्नलिखित हैं :

1. भूमि का उपविभाजन तथा अपखण्डन : गांवों की जनसंख्या के बढ़ने से जमीन पर दबाव बढ़ता है क्योंकि जनसंख्या की तुलना में भूमि सीमित है। इसीलिए जनसंख्या की इस विकराल स्थिति को नियंत्रित करना जरूरी है। एक परिवार में सदस्यों की वृद्धि के कारण उपविभाजन और अपखण्डन के कारण जोतों का आकार छोटा होता चला जाता है जिससे कृषि की विकसित तकनीकों का प्रयोग करने में बाधा उत्पन्न होती है तथा कृषि की उत्पादकता भी कम हो जाती है।

2. बेरोजगारी में वृद्धि : बढ़ती जनसंख्या के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। कृषि में एक सीमा तक ही जनसंख्या को काम मिल सकता है। यदि काम दो का है और चार लोग लगे रहते हैं तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ऐसे बेरोजगारों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है।

3. निर्धनता में वृद्धि : जनसंख्या बढ़ने से परिवार और देश पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण आज भी जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन-यापन करता है। परिवार बड़ा होने से प्रति व्यक्ति की आय कम हो जाती है तथा जीवन स्तर गिर जाता है।

4. साधनों की कमी : एक सबसे बड़ी समस्या है साधनों की कमी। जिस प्रकार एक रेखा के पास उससे बड़ी रेखा को खींचने पर वह छोटी प्रतीत होने लगती है, ठीक यही स्थिति साधनों की रेखा और जनसंख्या की रेखा के बीच है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन इन सब क्षेत्रों के साधनों को जिस गति से बढ़ाया जाता है उससे भी कहीं अधिक गति से जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या की भीड़ से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुविधाओं के अभाव में परेशानी का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है।

5. पर्यावरण और प्रदूषण : जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, प्रकृति से छेड़छाड़ भी बढ़ती जा रही है। यहां तक की गांव भी प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। हवा और जल-प्रदूषण के अतिरिक्त रासायनिक उर्वरकों के अति प्रयोग से मृदा प्रदूषण भी पैदा हो गया है। इस सारी स्थिति को देखते हुए मानव-जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है।

6. खाद्य समस्या : जनसंख्या वृद्धि से स्वाभाविक है कि खाद्यान्न की मांग भी बढ़ती जा रही है। अधिक जनसंख्या भूख और कुपोषण के रूप में खाद्य समस्या को पैदा करती है और भूख और कुपोषण का ग्रामीण क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

7. अपराध और अनाचार की वृद्धि : :अधिक जनसंख्या अभाव उत्पन्न करती है जिस कारण समाज में अपराध और भ्रष्टाचार पनपता है। उससे नैतिक मूल्यों का हनन होता है। बेरोजगारी, भूख और ऋणग्रस्तता जैसे अनेक प्रकार के अपराधों को जन्म देती है।

जनसंख्या नियन्त्रण के लिए सुझाव :

जनसंख्या की वृद्धि दर पर रोक लगाने के लिए ग्रामीण अंचलों में साक्षरता को तेजी से बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है तथा इसके लिए स्वैच्छिक संगठनों को आगे आना चाहिए। जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाने चाहिए :

- परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम को अपनाने के लिए ग्रामीणों को तैयार करना चाहिए। उसके लिए विविध प्रकार के प्रोत्साहन भी दिए जा सकते हैं।
- दो से कम बच्चे वाले व्यक्ति को बैंकों से कम ब्याज पर ऋण सुलभ होना चाहिए।
- गांवों में मनोरंजन के साधनों का विकास करना चाहिए।
- बाल-विवाह को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए।
- जनसंख्या नियन्त्रण के लिए हतोत्साहन की तकनीक को भी अपनाया जा सकता है। दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को चुनाव से वंचित कर देना चाहिए। यह रोक पंचायत से लेकर संसद तक के चुनावों पर लागू हो।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन देने के लिए पति-पत्नी को और दो बच्चों के लिए कार्ड बनाया जा सकता है।

इन प्रभावी उपायों से ही जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने में कुछ सफलता मिल सकती है।

ग्राम : सलेमपुर कस्बा,
पोस्ट : सलेमपुर,
जिला देवरिया (उ०प्र०)

पहाड़ों का निर्धन राजा : पहाड़ी कोरवा

✍ डा. योगिन्द्र प्रताप सिंह

'पहाड़ी-कोरवा' जाति, भारत की पिछड़ी आदिवासी जातियों में भी सबसे पिछड़ी अवस्था में है। मारिया-मुरिया, बैगा, सहरिया, मुण्डा, सन्थाल जैसी आदिवासी जातियां समूहों में रहती हैं, इनमें समूहगत भाव मिलते हैं, परन्तु 'पहाड़ी-कोरवा' जाति आज भी पहाड़ों पर अलग-थलग रहती हुई लगभग गुफा मानव की तरह जीवन-यापन कर रही है।

यह जाति 'कोलारियस' प्रजाति का एक हिस्सा है जो बिहार के छोटा नागपुर से स्थानान्तरित होकर मध्य प्रदेश में 'रायगढ़-सरगुजा के खुड़िया-जमीरापार' क्षेत्र की ओर बस गयी है। रायगढ़ जिले की जशपुर तहसील में बगीचा-मनोरा-सन्ना क्षेत्र तथा सरगुजा जिले के कुसमी, शंकरगढ़, लुण्डा, मैनपार क्षेत्र में इसकी जनसंख्या बहुत सघन है। गहरे काले रंग की चमचमाती त्वचा, ठिगना कद, घुंघराले बाल, चौड़ा मजबूत कन्धा इनकी पहचान है। 'ओंकार' शब्द का प्रयोग बहुतायत से करते हैं। लंबे बालों की गुथी हुई 'चूंदी' में तीर भी रखते हैं। स्त्रियों का रंग गहरा काला, ओठ मोटे, ठिगना कद होता है। ये कानों में सरई के पत्ते से बने 'तिकु' पहनती हैं। आजकल टेरीकाट की साड़ी के साथ-साथ मोती एवं सिक्के की माला भी पहनने लगी हैं।

सरगुजा में पहाड़ी-कोरवा के साथ पण्डो जाति भी है, इसलिये सामान्य मान्यता के अनुसार पाण्डव की सन्तान 'पण्डो' तथा कौरव की सन्तान 'कोरवा' से जोड़कर नामकरण हुआ है। पहाड़ी कोरवा अपने बारे में कहता है कि "हम जंगल में कांदा (कन्द मूल) कोड़ते (खोदते) रहते थे, इसलिये महतो लोगों ने हमें कोड़वा कहना प्रारम्भ किया। कोड़वा से हम कोरवा बन गये। पहाड़ पर रहने के कारण हमें 'पहाड़ी-कोरवा' कहा जाने लगा।"

पहाड़ी-कोरवा जंगल में दो राजा मानता है– एक शेर तथा दूसरा स्वयं। सरकार ने पहाड़ों से उतारकर, बस्ती-बाजार के बीच पक्के मकान बनाकर इन्हें दिये। कुछ ही दिनों में 'कोरवा' ने मकान का फर्श खोदकर गड्ढा बनाया, ऊपर से लकड़ी का 'कुम्भा' (जैसा पहाड़ों पर इसका घर होता है) बनाया, इससे भी बात न बनी तो दीवाल की ईटें निकालकर बाजार में बेच दीं और चढ़ गया– पहाड़ पर स्वच्छन्द विचरण करने। इस बारे में पूछने पर कहते हैं कि "ऊपर हमें बहुत आराम है, चाहे जहां घूमें, चाहे जिस पेड़ को काटें, कांदा खोदें, पानी पियें। नीचे हमें 'भला' नहीं लगता है। दुकानदारों से पता चलता है कि पहाड़ी-कोरवा एक किलो नमक के बराबर एक किलो चिरौंजी तोल देगा, एक बोरी खाद हमें एक बोतल दारु के बदले पटक जायेगा, परन्तु यदि उसके पास रुपया नहीं है तो वह उसी अधिकार से 10 रुपया भी मांगेगा। काम करने का मन नहीं है और कोरवा नीचे उतर आया है, तो कहेगा– '10 रुपया दे बे।' यह रुपया न तो भीख है न उधारी। किसी की हिम्मत भी नहीं है कि न कर दे– यह तो जंगल के राजा का हुक्म है।

पहाड़ी रास्तों पर 10-15 से 30-35 किलोमीटर तक के दुर्गम स्थान पर इसने जंगल काटकर 'बेवरा' (कृषि-योग्य भूमि) बनाया, बेवरा में अपना घर। जंगल का राजा, जमीन की मिल्कियत क्या जाने, जब उसका मन ऊबा दूर कहीं फिर दूसरा घर। किसी के मर जाने पर भी पुराने घर को तोड़कर छोड़ देते हैं। 10-12 वर्ष की उम्र में बच्चे की शादी की और बना दिया दूर कोई दूसरा घर। घर में लकड़ी पत्ता-मिट्टी का ही सहयोग है।

आजादी के बाद पहाड़ी-कोरवा के उत्थान के लिये अनेक योजनाएं बनीं और बन रही हैं। लगभग 5 से 7 लाख रुपये तक औसतन एक कोरवा पर धन-राशि भी खर्च हो चुकी है। परन्तु पहाड़ी कोरवा को इससे क्या मतलब, उसके राम तो अपने में मस्त हैं। एक कमरे का घर, घर में पूरी गृहस्थी छत पर टंगी मिल जायेगी। रस्सियों में जस्ते के बर्तन हैं, तो कपड़े-लत्ते, बिस्तर भी, लौकी की तुम्बी है, तो तीर-धनुष-तब्बल भी, जानवरों के चमड़े हैं, तो कोने में लटकता चूहा भी। घर के किसी कोने में 'पोषकी' भी मिलेगी– जिसे बड़ी श्रद्धा से पहाड़ी-कोरवा विधिवत् पूजन के साथ रखता है। 'पोषकी' में उसके पूर्वजों की आत्मा है, जो उसे वर्ष भर `ोर, सियार, भालू, सांप, जार (कठिनाई) से बचायेगी।

'पहाड़ी-कोरवा' भविष्य से डरा हुआ नहीं है। वह केवल आज की चिन्ता में जीता है। यदि शाम तक के खाने का इन्तजाम हो गया है, तो फिर उससे कोई काम नहीं लिया जा सकता। हड़िया (चावल से बना विशेष मादक पेय) इनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बच्चे के जन्म पर खुद जमकर पीते हैं, विवाह में एक सप्ताह पीने का आयोजन होता है, मृत्यु पर भी संवेदना प्रकट करने वालों को हड़िया ही पिलाकर विदा किया जाता है। यहां तक कि मृत्यु भोज भी बिना हड़िया के अधूरा है। जब कोई बीमार पड़ जाए, तेज बुखार हो, तब भी हड़िया पिला दिया जाता है। घर में जो थोड़ी-सी जगह होती है उसमें 8-10 मिट्टी के बर्तनों में, कई स्तरों की तैयार हड़िया मिलेगी। हड़िया तैयार होने में तीन-से-चार दिन लग जाते हैं।

उत्सव एवं त्योहार समूह के आयोजन हैं। आषाढ़ माह में हरियारी का त्योहार ही इनका मूल त्योहार है। पहाड़ी कोरवा किसी ईश्वर को नहीं जानता। प्रकृति ही उसकी देवता है, उसे तो केवल अपने पूर्वजों के चेहरे याद हैं।

हरियारी के त्योहार में कोरवा पूर्वजों की ही आराधना करता है। खुड़िया रानी को पहाड़ी-कोरवा देवी मां मानता है। उसकी मान्यता है कि बड़े से पत्थर के पीछे देवी मां बन्द हैं। खुड़िया रानी पर बकरे की बलि देते समय नेपाल की तरह बकरे को चावल खिलाया जाता है, जब तक बकरा चावल न खा ले उसे काटा नहीं जाता।

पहाड़ी-कोरवा बांस और लकड़ी के बर्तन बनाकर बेचना घटिया काम मानता है। ऐसा नहीं है कि उसके हाथ कलात्मक नहीं हैं। सिहार के पत्ते से बना 'चुकुडू' कलात्मकता का नमूना है। 'चुकुडू' जिसे 'घुघु' या 'गुंगु' भी कहते हैं, पत्ते की डण्ठल से ही बनाया जाता है। यह उसकी वर्षा तथा शीत दोनों से रक्षा करता है। यदि पत्ते हों तो एक कोरवा, एक दिन में 8 से 10 तक 'चुकुडू' बना सकता है।

विवाह के प्रति पहाड़ी-कोरवा कुण्ठा-मुक्त है। लड़के-लड़की की पसन्द से ही विवाह होता है। सगोत्री विवाह वर्जित हैं। एक पुरुष के नौ विवाह तक की बात पता चलती है। स्त्री की बारात एक बार ही जाती है। दोबारा उसे भगाकर या 'ढुकु-विवाह' ही किया जाता है। विवाह में दहेज का चावल-बकरा-हड़िया, लड़के का पिता देता है। लड़की पसन्द आ जाने पर मांगने जाते हैं, तब लड़की के पिता को दारू-बकरा-चावल देते हैं। शादी से 10-15 दिन पूर्व पुनः इन चीजों को भेजना पड़ता है तथा बारात लेकर जाते समय साथ में इन्हें लेकर जाना पड़ता है। बारात पहुंचने पर रातभर हड़िया पीकर, मांस-भात खाते हैं, गांव की लड़कियां रात भर दूल्हे-दुल्हिन को गोद में लेकर नचाती रहती हैं तथा तेल हल्दी लगाती हैं। सुबह 'चुमान' होता है। घर के बुजुर्ग वर-कन्या को बैठाकर तेल से चुम्मा लेते हैं, सामर्थ्य-भर रुपया-पैसा देते हैं, जो लड़के-लड़की को ही मिलता है। शादी के एक सप्ताह के पश्चात् लड़की 'पियर-धोवानी' के लिये मायके आती है। 'पियर-धोवानी' शरीर में लगे पीले रंग के धोने से संबंधित है।

पहाड़ी-कोरवा देश-दुनिया से बेखबर अपनी छोटी-सी दुनिया में उलझा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि के बारे में पूछने पर शून्य में ताकने लगता है। वह राजा के बाद किसी को जानता है तो 'कलेक्टर साहब' को। पहाड़ी कोरवा, तहसीलदार, एस.डी.एम., बी.डी.ओ., बैंक मैनेजर, दरोगा आदि को कुछ नहीं मानता। वह इतना जानता है कि सब लोग कलेक्टर साहब से डरते हैं, उनके आदेश पर ही हमारा काम करते हैं और कलेक्टर साहब उसे कुर्सी पर बैठाकर हालचाल पूछते हैं। इस संबंध में दौरे पर गए एक कमिश्नर ने पहाड़ी कोरवाओं को बुलाया, कुर्सी पर पास बैठाकर हाल चाल पूछा। उन्होंने पूछा कि घर में तुम्हारी पत्नी क्या काम करती है? यदि पानी आदि न लाकर दे तो, उत्तर में कोरवा ने कहा कि "फिर हम उससे झगड़ा करेंगे"। कमिश्नर साहब ने कहा कि- "हम तो आफिस से घर जाते हैं, तो जब पत्नी से पानी मांगते हैं वह कह देती है कि कोने में रखा है—लेकर पी लो।" बताओ हमें क्या करना चाहिए? उत्तर में पहाड़ी-कोरवा ने बिना झिझके तत्काल कहा कि वह तुम्हारी औरत है तुम जानो, लेकिन हम तो अपनी औरत को पीट देते।"

बोली भाषा में पहाड़ी-कोरवा अपनी पुरखाती भासी 'कोडकू' को छोड़ता जा रहा है। पचास वर्ष के ऊपर के ही कोरवा अपनी पुरानी भाषा को बता पायेंगे। अब जशपुरिया, सादरी, सरगुजिहा ही उनमें रच-बस गयी है। 'भासी' में बड़ी मुश्किल से कोई गीत सुना पायेगा। उसकी भाषा में 'आम' जैसे पेड़ के लिये जड़ से लेकर फूल तक के नाम हैं, परन्तु वहां नीम, आमरूद, नींबू, केला आदि के लिये शब्द नहीं हैं। नाते-रिश्ते, पेड़-पौधे, हवा-पानी जो कुछ पहाड़ों पर है, वह उसकी भाषा में है परन्तु नीचे उतरने पर नयी दुनिया के शब्द वह बना नहीं पाया। दैनिक बोलचाल

में वह आम व्यवहार की भाषा का प्रयोग करने लगा। कलात्मकता के लिये पहाड़ी-कोरवा के पास समय ही नहीं है— दो जून की रोटी के लिये जूझ रहा है। हां, गेयता उसमें कूट-कूटकर भरी है, हड़िया-दारू पीकर, मात जाने पर उनसे बात कीजिये, गाने सुन लीजिये। कोरवा को दूसरा शौक तीर-गुलेल का भी है। तीर चलाने का नाम लेने पर ही, उनकी आंखों में अपने आप चमक आ जाती है, दोनों उंगुलियां हिलने लगती हैं।

पहाड़ी-कोरवा आत्म-विमुग्ध जाति है। इसके विकास की कोई योजना हमें अपने दृष्टिकोण से न बनाकर उसकी सांस्कृतिक-विशेषताओं को ध्यान में रखकर उसके मनोभाव के अनुरूप बनानी होगी। यह कार्य उसके बीच, उसकी कुटिया में रुककर बन सकता है। 'पहाड़ी-कोरवा' प्रदर्शनी की वस्तु नहीं, वह तो प्रकृति का सच्चा 'वन-पुत्र' है, जो विकास की धारा से छिटक गया है। उसे इस धारा में लाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है अन्यथा इनकी भाषा की तरह ही एक दिन यह जाति भी समाप्त हो जायेगी।

एम-90, गोविन्द पुर,
इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)

गांव का ग्रामीण हूं

रामगोपाल परिहार

गांव का ग्रामीण हूं—
है गांव से नाता।
सांझ की गोधूलि में
जब ग्वाल आते हैं,
और रम्भाकर, धेनुसुत
मां बुलाते हैं—
धूल में डूबा किसी का
लाल रोता है,
सुता स्तन-पान को
जब दौड़ पड़ती है
गांव की इस जाह्नवी में
पाप गल जाता।
भोर के जब शोर में
चीं-चीं विहग करते
गांव की सुकुमारियां
चाकी चलातीं हैं
और चारे की मशीनें
चल रहीं होतीं—
मंदिरों की घंटियां
आजान अल्लाह हो
गांव के इस दृश्य पर
है स्वर्ग शरमाता।
उषा की लख लालिमा
हलधर सजग होते,
प्रातः होते श्वान सोते
रात के जागे—
गांव की गोरी
कुएं से नीर लाती हैं
लाल जाते लिए पट्टी
पाठशाला में—
किसी घर से कोई
मट्ठा मांगकर लाता।
बिलोतीं मक्खन कहीं
दादी कहीं अम्मा—
काम करने खेत पर
काका चले जाते
और बाबा के लिए
खिचड़ी कहीं होती
कहीं छोटी बहू के
बेटा जनम लेता
गांव में ही जनम देना—
हे जनमदाता! गांव का ग्रामीण...

हिन्दी विभागाध्यक्ष,
जवाहर नवोदय विद्यालय,
हदगढ़ (क्योंझर), उड़ीसा
पिन-758023

समय की आवश्यकता–कृषि वानिकी

नरेश कौशिक, रोशन लाल एवं राजेन्द्र सिंह

पिछले तीन चार दशकों से मनुष्य अपनी तात्कालिक जरूरतों की पूर्ति के लिए अनियोजित तथा आगामी आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना वन वृक्षों को अत्यधिक मात्रा में काटता रहा है। वह नहीं जान पाया था कि वन प्राकृतिक सम्पत्ति है। वन जहां एक ओर स्वास्थ्य और पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करते हैं वहीं दूसरी ओर इस पर आश्रित आदिवासी और ग्रामीणों को सुदृढ़ आर्थिक आधार भी मिलता है। वृक्षों की अत्यधिक कटाई से भारतवर्ष का वन क्षेत्र दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है। सन् 1950-51 में कुल वन क्षेत्रफल 7.18 लाख वर्ग किलोमीटर था और 1961-62 में घटकर 6.95 लाख वर्ग किलोमीटर रह गया जो कि देश के क्षेत्रफल का 22 प्रतिशत भाग है। अब भारत में समस्त भूमि के 13 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही वन रह गये हैं। इसी रफ्तार से अगर वन सिकुड़ते रहे तो एक समय ऐसा भी आयेगा, जब हमारे पास न जलाने को लकड़ी होगी, न चारा और ही मकान बनाने के लिए लकड़ी।

उपरोक्त परिस्थितियों में अगर किसान अपनी भूमि पर कृषि वानिकी पद्धति अपनायें तो उसे खाद्य पदार्थों के साथ-साथ ईंधन, चारा, फल, लकड़ी आदि आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। इसी के साथ प्राकृतिक वनों का दोहन भी कम हो जायेगा, जिससे पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा।

कृषि वानिकी

फसलों के साथ-साथ उसी भूमि पर वृक्षों की संख्या को भी क्रमबद्ध तरीके से उगाना ही कृषि वानिकी है। इसलिए कृषि वानिकी के लिए आवश्यक है कि फसलों के साथ-साथ बहु-उद्देशीय पेड़ जैसे नाइट्रोजन स्थिर करने वाले फलदार पेड़ लगाएं जो एक दूसरे पर कुप्रभाव न डालें और साथ-साथ लगे होने से अधिकतम लाभ दे सकें।

कृषि वानिकी का महत्व

कृषि वानिकी ग्रामीणों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका महत्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है :

- कृषि वानिकी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवेश में रहने वाले ग्रामवासियों को ईंधन उपलब्ध कराना है। भारत में ग्रामीणों द्वारा लगभग 7 करोड़ टन गोबर उपलों के रूप में जला दिया जाता है। गोबर कृषि के लिए कार्बनिक खाद बनाने के लिए उपयोगी होता है। इस खाद की कमी के कारण कृषि की उत्पादन क्षमता दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। यदि कृषि वानिकी द्वारा जलाऊ लकड़ी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो तो गोबर का जलना स्वयं रुक सकता है और साथ ही हमारे वनों पर भी जलाऊ लकड़ी का बोझ कम हो जायेगा।
- कृषि वानिकी जलवायु, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को शुद्ध रखने में सहायक होती है।
- वन उपज एवं औषधि देने वाले पौधे लगाकर ग्रामीण जनता को कुटीर उद्योगों के लिए जहां कच्चा माल गांवों में ही उपलब्ध कराया जा सकता है वहीं लघु उद्योग धंधों तथा ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- कृषि वानिकी के तहत फल वृक्ष, सब्जी एवं दलहनी फसलें उगाकर भोजन की पोषक क्षमता बढ़ाई जा सकती है।
- भारतवर्ष में जानवरों की लगातार बढ़ती जनसंख्या के लिए इस सदी के अंत तक 110 करोड़ टन चारे की जरूरत पड़ेगी। यह तभी संभव होगा जब हम फसलों के साथ-साथ पेड़ पौधों तथा उपयोगी झाड़ीनुमा पौधों को भी शामिल करेंगे।

*कृषि महाविद्यालय, कौल (केथल)

- कृषि वानिकी से पोषक तत्वों को पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। वह मृदा तथा जल संरक्षण में सहायक है।
- कृषि वानिकी से राष्ट्रीय वन नीति लक्ष्य के अनुसार वनों का क्षेत्रफल पूरे देश के भू-भाग के 33 प्रतिशत तक पहुंचाया जा सकता है जो कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य दोनों की दृष्टि से उपयुक्त है।
- कृषि वानिकी द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार मिलता है।

कृषि वानिकी की विभिन्न पद्धतियां

कृषि वानिकी के तीन मुख्य अवयव होते हैं - 1. वृक्ष, 2. कृषि फसलें और 3. चारा फसलें। इन अवयवों में वृक्ष ही एक ऐसा अवयव है जो सभी कृषि वानिकी पद्धतियों में निश्चित रूप से रहता है। इन अवयवों को आपस में मिलाकर कई कृषि वानिकी पद्धतियां हमारे देश में प्रचलित हैं:-

कृषि-वानिकी तंत्र (एग्री सिल्वीकल्चर पद्धति) : इस पद्धति में कृषि फसलों के साथ-साथ पेड़ उगाये जाते हैं।

वानिकी-चारा तंत्र (सिल्वी पास्टोरल पद्धति) : इस पद्धति में बहु-उपयोगी वृक्षों के साथ जानवरों के लिए चरागाह विकसित करते हैं।

कृषि उद्यान तंत्र (एग्रो-होर्टीकल्चर पद्धति) : इस पद्धति में कृषि फसलों के साथ-साथ फलदार वृक्ष उगाये जाते हैं।

कृषि-वानिकी-चारा तंत्र (एग्रो सिल्वी पास्टोरल पद्धति) : इस पद्धति में कृषि फसलों के साथ वृक्ष एवं जानवरों के लिए चारा उगाते हैं।

कृषि-उद्यान-वानिकी तंत्र (एग्रो-होर्टी-सिल्वीकल्चर पद्धति) : इसमें कृषि फसलों के साथ फलदार वृक्ष एवं बहु उपयोगी वृक्ष लगाये जाते हैं।

वानिकी-उद्यान तंत्र (सिल्वी हार्टीकल्चर पद्धति) : इसमें वृक्षों के साथ फलदार वृक्ष भी लगाये जाते हैं।

उद्यान-चारा तंत्र (होर्टी-पास्टोरल पद्धति) : इसमे फलदार वृक्षों के साथ घास विकसित करते हैं।

कृषि वानिकी में वृक्ष प्रजातियों का चुनाव

वृक्षों की प्रजातियों का चुनाव क्षेत्र की जलवायु और मृदा के गुणों पर निर्भर करता है। इसके साथ ही कृषि वानिकी में कुछ विशेष प्रकार की फसलें एवं वृक्ष ही अच्छी पैदावार दे सकते हैं। अतः फसल एवं वृक्षों का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है :

1. वृक्षों की प्रजाति बौनी, गहरी जड़ों, जल्दी बढ़ने एवं कम छाया देने वाली होनी चाहिए।
2. जहां तक हो सके छाया में उगायी जाने वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए।
3. भूमि में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले वृक्ष एवं फसलों का चुनाव अधिक लाभकारी होता है।
4. फसलों व वृक्षों का चुनाव क्षेत्र की जलवायु के आधार पर करना चाहिए।
5. उथली जड़ वाली फसलों को प्राथमिकता दें।
6. ऐसी जगह पर जहां पानी इकट्ठा रहता है वहां जामुन, सिरिस आदि वृक्ष लगाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त किसानों की आवश्यकता और निकट के बाजार पर भी प्रजातियों के चुनाव का असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी किसान को जलाऊ लकड़ी की ही आवश्यकता है तो वह किसान वही प्रजातियां चुने जिससे जलाऊ लकड़ी अधिक मिलती हो। इसी प्रकार अगर कोई कागज बनाने का कारखाना निकट है तो किसान उन्हीं प्रजातियों का चुनाव करे जिनसे कागज की लुगदी अच्छी बनती हो।

वृक्ष फालतू उर्वरक और कीटनाशकों की खपत में सहायक होते हैं। फालतू पानी का भी उपयोग कर लेते हैं। फसल को पाले और लू से बचाते हैं। सामान्य रूप से कृषि और वानिकी का सहयोग दोनों के ही हित में है। इससे आमदनी में भी वृद्धि हो जाती है। बस दोनों में मेल उपयुक्त तौर पर हो। कृषि वानिकी से समाज को तो लाभ होगा ही साथ ही उपलब्ध भूमि साधनों का उचित उपयोग भी हो सकेगा। इस प्रकार भारत जैसे विकासशील और भारी जनसंख्या वाले देश की विभिन्न समस्याएं कृषि वानिकी से कम की जा सकती हैं।

कुपोषण दूर करने वाला सोयाबीन

डा० सीताराम सिंह पंकज

प्रोटीन हमारे भोजन का एक प्रमुख घटक है, शायद यही कारण है इसे शरीर निर्माता (बाडी बिल्डर) भी कहते हैं। प्रोटीन के उपलब्ध समस्त स्रोतों में सोयाबीन का सबसे प्रमुख स्थान है। सोयाबीन और उससे निर्मित पदार्थ आजकल देश-विदेश में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं।

सोयाबीन की पैदावार :

लगभग सौ वर्षों से उत्तर प्रदेश के कुमायुं और गढ़वाल मंडलों की निचली पहाड़ियों, भाबर क्षेत्र तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में सोयाबीन की खेती की जा रही है। आरम्भ में सोयाबीन का उपयोग स्थानीय लोग दाल के रूप में करते थे। इसके हरे सूखे हुए तने और पत्तियों का उपयोग पशु-आहार के रूप में किया जाता था। आज भी अधिकांश भारतीय किसानों के लिए सोयाबीन एक नई फसल है।

विश्व के अनेक देशों ने सोयाबीन की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं। इनमें ब्राजील, रोमानिया, पेराग्वे और अर्जेन्टाइना प्रमुख हैं। अब भारत भी इसकी पैदावार बढ़ाने की दिशा में अग्रसर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1967 में सोयाबीन पर एक सघन अनुसंधान परियोजना (इनटेन्सिव रिसर्च प्रोजेक्ट) का शुभारंभ किया। इस परियोजना के अन्तर्गत सोयाबीन की अनुकूल प्रजातियां विकसित कर कृषकों को खेती के लिए दी गयीं। ये प्रजातियां थीं ब्रैंग, अंकुर, अलंकार, शिलाजीत, पी० के० 326, जे० एस०-दो इत्यादि।

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (पंतनगर) इस परियोजना का समन्वित क्रेन्द्र है। इसके साथ ही कृषकों को नवीन तकनीकी जानकारी देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों का भी आयोजन किया जा रहा है। सोयाबीन की खेती का अधिकांश क्षेत्रफल मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। अन्य दूसरे राज्य जैसे कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान भी इसकी खेती को बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि सोयाबीन की गणना नकदी फसलों में की जाती है।

लोकप्रिय खाद्य पदार्थ

भारत सहित विभिन्न देशों में सोयाबीन का प्रयोग अनेक प्रकार के लोकप्रिय खाद्य पदार्थ बनाने में किया जा रहा है। निस्संदेह सोयाबीन प्रोटीन, वसा और खनिजों का उत्तम स्रोत है। इसमें तकरीबन 40 प्रतिशत प्रोटीन, 20 प्रतिशत तेल, 26 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट्स, 4 प्रतिशत खनिज तथा 2 प्रतिशत फॉस्फोलिपिड होता है। सोयाबीन फास्फोरस और लेसीथिन का भी अच्छा स्रोत है। इसीलिए यह स्नायु रोगों में भी लाभदायक होता है। सोयाबीन के आटे में कार्बोहाइड्रेट की अल्प मात्रा होने से यह मधुमेह के रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। सोयाबीन में जल और वसा में घुलनशील विटामिनों की पर्याप्त मात्रा होती है। सोया प्रोटीन की पौष्टिकता जंतु प्रोटीन के समान ही होती है। इसलिए शाकाहारी लोगों के लिए सोयाबीन मांस का स्थान ले सकता है।

सोयाबीन से अधिक प्रोटीन प्राप्त होने के कारण सम्पूर्ण विश्व में इसका काफी महत्व है। इसके साथ ही सोयाबीन वनस्पतिपूरक प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत भी है। कहते हैं एक हेक्टेयर से उत्पादित सोयाबीन से लगभग 9000 व्यक्तियों को एक वक्त का भोजन कराया जा सकता है, जबकि अन्य फसलों से महज 2000-4000 तक व्यक्तियों को ही। विश्व में सोया खाद्यान्नों से प्राप्त प्रोटीन अन्य खाद्यान्नों से प्राप्त प्रोटीन का लगभग दो तिहाई है। फूड प्रोटीन कांडसिल (अमरीका) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अमरीका में प्रति वर्ष 100 करोड़ किलोग्राम से अधिक खाद्य सोया प्रोटीन के उत्पादनों का प्रयोग किया जाता है। जापान में प्रति व्यक्ति औसतन 10 ग्राम सोया प्रोटीन का प्रतिदिन प्रयोग करता है, जबकि दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में यह मात्रा 30 ग्राम प्रतिदिन तक है।

सोयाबीन में अधिक प्रोटीन और लाइसिन की मात्रा के कारण आजकल इसका प्रयोग गेहूं की पौष्टिकता बढ़ाने

अध्यक्ष, प्राणिविज्ञान विभाग, के० एस० आर० कालेज, समस्तीपुर-848127

में भी किया जाता है। विश्व के अनेक देशों में सोयाबीन के आटे का प्रयोग बच्चों के खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। मसलन भारत में 'बालाहार' और 'बाल अमूल' में तथा अन्य उत्पादों में सोयाबीन के आटे का प्रयोग होता है। इतना ही नहीं, भारत में गेहूं के आटे में सोयाबीन का आटा मिलाकर चपाती, पूरी तथा अन्य स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में इसका प्रयोग किया जाने लगा है। दक्षिण भारतीय व्यंजनों मसलन 'हुसली', 'थोती' तथा 'सांबर' आदि बनाने में सोयाबीन की हरी फलियों का प्रयोग किया जाता है। इससे सभी व्यंजन स्वादिष्ट और सुपाच्य हो जाते हैं।

औषधि निर्माण में :

आजकल अनेक औषधियों के निर्माण में भी सोयाबीन का प्रयोग होने लगा है। कई एंटीबायोटिक्स के व्यावसायिक उत्पादन में सोयाबीन का आटा प्रोटीन का अच्छा स्रोत होने के कारण फंगस उत्पादन के काम आता है। ज्ञात हो कि एंटीबायोटिक उद्योगों को भारत में प्रतिवर्ष लगभग 10,000 टन सोयाबीन आटे की आवश्यकता होती है। सोयाबीन के आटे का प्रयोग व्यापारिक स्तर पर सोया आइसक्रीम, सोया कैंडी तथा सोया नट्स आदि के निर्माण में भी होने लगा है। पर्याप्त मात्रा में सोयाबीन का उपयोग सालवेट प्रक्रिया द्वारा तेल निकालने में किया जा रहा है।

कुपोषण दूर करने के लिए

प्रोटीन की कमी से होने वाले कुपोषण को रोकने के लिए गेहूं के आटे में सोयाबीन के आटे को मिलाना काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। चीन और जापान में सोयाबीन का दूध काफी लोकप्रिय है। वहां इसके दूध से बनाये गये खाद्य पदार्थ भोजन में प्रयोग किये जाते हैं। नवजात शिशुओं को चीन में सोयाबीन का दूध पिलाया जाता है। सोयाबीन के दूध से बनाये गये दही और पनीर भी काफी लोकप्रिय हैं।

भारत में भी सोयाबीन का दूध काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। ऐसे बच्चे जिन्हें गाय या भैंस का दूध रास नहीं आता, उनके लिए सोयाबीन का दूध वरदान है। महाराष्ट्र में सोया दूध और दही के उत्पादन के लिए उद्योग की स्थापना को गयी है। सोयाबीन का शीतल और सुगंधित दुग्ध बाजारों में पोलीथीन की थैली में मिलने लगा है। बच्चों के लिए सोयाबीन का सूखा पाउडर बाजार में उपलब्ध है। सोया मिल्क में विटामिन और खनिज की प्रचुरता से उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। प्रोटीन की कमी से उत्पन्न रोग 'क्वाशियोरकर' के लिए तो सोयाबीन निर्मित खाद्य रामबाण औषधि की भांति हैं।

पंतनगर, जबलपुर और बंगलौर विश्वविद्यालयों में प्रतिदिन के भोजन में सोयाबीन के उपयोग की विधियां विकसित कर ली गयी हैं। कम आयु के बच्चों और ग्रामीणों को इस प्रकार के कुपोषण से बचाने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। किण्वन (फरमेंटेशन) प्रक्रिया द्वारा सोयाबीन के अनेक खाद्य पदार्थ, मसलन सास, माइसो आदि बनाये जाते हैं। पोषण विशेषज्ञों की राय है कि सोया खाद्य पदार्थों के प्रयोग से मनुष्य को वायु विकार जैसे रोग नहीं होते तथा अपच की सम्भावना भी नहीं होती। वनस्पति उद्योगों में सोयाबीन के तेल का महत्वपूर्ण स्थान है। अन्य उद्योगों जैसे—रंग-रोगन, साबुन, स्याही तथा सौन्दर्य प्रसाधन (कास्मेटिक्स) में भी इसका खूब प्रयोग होता है। इसके साथ ही सोयाबीन का तेल लेसिथिन का अच्छा स्रोत होने के कारण चाकलेट, डबलरोटी तथा औषधि उद्योगों में बहुत उपयोगी होता है। चपाती में सोयाबीन का लेसिथिन मिलाने से यह नर्म तथा काफी समय तक ताज़ा बनी रहती है।

अनेक विकासशील देशों में प्रोटीन की प्रमुखता के कारण सोयाबीन की खेती मुख्य फसल के रूप में की जाती है। और तो और यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी अच्छा साधन है। सोयाबीन उष्ण, सम-उष्ण एवं शीतोष्ण सभी दशाओं में अच्छी तरह उगाया जा सकता है और इसकी फसल से किसानों को पर्याप्त लाभ प्राप्त हो सकता है।

खाद्य पदार्थों में सोयाबीन का प्रयोग कुपोषण जैसी जानलेवा बीमारी से हमारी रक्षा करता है। इसराइल और कोलंबिया में तो कानून द्वारा यह आवश्यक कर दिया गया है कि डबलरोटी में 5 प्रतिशत सोयाबीन का आटा मिलाया जाये। भारत में भी सोया खाद्य पदार्थों को आयोडीनयुक्त नमक की तरह लोकप्रिय और आवश्यक बनाने की जरूरत है। प्रोटीन और पौष्टिकता से भरपूर सोयाबीन को हम अपने दैनिक आहार में निश्चित रूप से शामिल करें—यही समय की मांग है। इसमें व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र का कल्याण निहित है। □

पहाड़ों का निर्धन राजा - पहाड़ी कोरवा

पहाड़ी कोरवा का गांव, एक घर से दूसरा घर काफी दूर – निडर और स्वछंद जीवन की पहचान।

(लेख पृष्ट 38 पर)

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : (डी (डी एल) 12057/95
पूर्व भुगतान के बिना डी. पी. एस. ओ. दिल्ली में डाक में डालने
की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

R.N./708/57
P & T Regd. No. D (DL) 12057/95
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at DPSO, Delhi-54

निदेशक, प्रकाशन विभाग पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और आकाशदीप प्रिन्टर्स, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित